रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33001/97 Regd. No. D L 33001/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1998/पौष 13, 1919
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1998/PAUSA 13, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)**

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the General Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि.1.—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयुध नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"(4) निक्षिप्त की गई चीजों की अभिरक्षा के लिये निक्षेपक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जा सकेगी :—

1. प्रत्येक अग्न्यायुध के लिये————————प्रतिवर्ष या उसके किसी भाग के लिये पचास रुपये।

2. हर अन्य शस्त्र या गोलाबारूद के पैकेज के लिये————————————प्रतिवर्ष या उसके किसी भाग के लिये 25 रुपये।

चीजों को अच्छी दशा में रखने के लिये कोई अतिरिक्त प्रभार ऐसी दरों पर उद्ग्रहीत किये जा सकेंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे।

3. उक्त नियमों के नियम 57 में,—

(i) उपनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जायगा, अर्थात् :—

"(क) इन नियमों के अधीन अनुदत्त या नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति, अभिव्यक्त रूप से जैसा



3235 GI/97—1

अन्यथा इसमें उपबंधित है, उसके सिवाय, अनुसूची–4 में, विनिर्दिष्ट फीस से (यदि कोई हो) प्रभार्य होगी।"

(ii) उपनियम (2) के खंड (ख) में, "5 रुपये" अंक और शब्द के स्थान पर, "100रु." अंक और अक्षर रख जायेंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 58 में,—

(i) खण्ड (क) में, "50 पैसे" अंक और शब्द के स्थान पर , "50रु." अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

(ii) खण्ड (ख) में, "एक रुपये" शब्दों के स्थान पर, "100रु." अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 59में,—

(i) खण्ड (क) में—

(क) "10 रुपये" अंक और शब्द के स्थान पर, "100रु." अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(ख) "5 रुपये" अंक और शब्द के स्थान पर, "50रु." अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

(ii) खण्ड (ख) में, "5 रुपये" अंक और शब्द के के स्थान पर "50रु." अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

6. अनुसूची 3 में,—

(i) प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3(क), प्ररूप 4, प्ररूप 5, प्ररूप 6, प्ररूप 7, प्ररूप 8, प्ररूप 9, प्ररूप 10, प्ररूप 11, प्ररूप 12, प्ररूप 13, प्ररूप 14, प्ररूप 15, प्ररूप 16, प्ररूप 17, प्ररूप 18, प्ररूप 19, प्ररूप 20, प्ररूप 21 तथा प्ररूप 22 के फीस शब्द और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) प्ररूप 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जायगा, अर्थात् :—

"प्ररूप –3

आखेट/संरक्षा/प्रदर्शन के लिये आयुध या गोलाबारूद के अर्जन, कब्जे और वहन के लिये अनुज्ञप्ति—

1. इस प्ररूप में अनुज्ञप्तियों के आरंभिक अनुदान की बाबत और उनके अनुदान या नवीकरण के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष की बाबत संदेय फीस अनुसूची 4 के अधीन क्रम सं. 3 के सामने यथा उपदर्शित दरों पर होगी।

2. घटी हुई फीस नवीकरण के लिये मामूली तौर से तभी ली जायगी जब नवीकरण के लिये आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर किया जाये और यदि आवेदन उस कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी—

(क) अनुज्ञप्ति के आरम्भिक अनुदान के लिय दी जाने वाली पूरी फीस, स्वविवेकानुसार, उद्ग्रहीत कर सकेगा; और

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विलम्ब न्यायोचित्य या माफी-योग्य नहीं है और न ही इतना गंभीर है कि अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या अनुज्ञप्तिधारियों के अभियोजन को समर्थित करने के लिये काफी हो तो, विलम्ब फीस, जो अनुज्ञप्ति फीस की, यदि फीस प्रभारित की जाती है तो, रकम से अधिक न होगी, या अन्य मामलों में 100 रुपये जब तक वह अनुज्ञप्ति को नवीकृत करना आवश्यक न समझता हो, स्वविवेकानुसार, उद्ग्रहीत कर सकेगा।

3. जहां इस प्ररूप में कोई अनुज्ञप्ति एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये अनुदत्त या नवीकृत की जाती है वहां फीस अनुसूची 4 के अधीन क्रम स. 3 के सामने विहित दरों पर संगणित की जायगी और वर्ष के किसी भी भाग को इस प्रयोजन के लिये पूरा वर्ष माना जायगा।

(i) परन्तु फीस—

(क) उन वास्तविक दरों पर होगी जो प्रथम वर्ष की बाबत आरम्भिक अनुदान के लिये अनुसूची 4 के अधीन क्रम सं. 3 के सामने विहित है; और

(ख) उस वार्षिक दर पर होगी जो प्रत्येक वर्ष की बाबत या प्रथम वर्ष के पश्चात् उसके किसी भी भाग की बाबत नवीकरण के लिये अनुसूची 4 के अधीन क्रम सं. 3 के सामने विहित है।

| अनुज्ञप्ति की क्रम सं. | अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वर्णन और निवास स्थान | आयुध और गोलाबारूद, जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी कब्जे में रखने का हकदार है | | | ऐसे प्रतिधारक (यदि कोई हो) को, जो अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, नाम, उसके पिता का नाम और पता |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रत्येक शस्त्र का संक्षिप्त वर्णन और व्यौरे, उदाहरणार्थ पहचान चिह्न, रजिस्टर संख्यांक, आदि | प्रत्येक गोलाबारूद की मात्रा और | | |
| | | | किसी एक समय पर कब्जे में रखी जा सकने वाली अधिकतम मात्रा | वर्ष के दौरान खरीदी जा सकने वाली अधिकतम मात्रा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| आयुध या गोलाबारूद, जिन्हें प्रतिधारक कब्जे में रखने का हकदार है | | क्षेत्र जिसके भीतर अनुज्ञप्ति विधिमान्य है | ††अनुज्ञप्ति किस तारीख को समाप्त होती है | अनुज्ञप्ति या आयुध या दोनों ही नियम 52(2) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए किस तारीख को पेश किए जाएंगे |
|---|---|---|---|---|
| आयुध | गोलाबारूद | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

तारीख ..... 19

(मुद्रा)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदाभिधान .....

स्थान .....

या

नियम 4 के अधीन अनुज्ञप्ति को हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर

पदाभिधान .....

स्थान .....

†असमुचित पद हटा दिए जाने चाहिए।

††शब्द "पर्यंतक" अनुसूची 2 की प्रविष्टि 3(ग)(ग) के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के आर-पार स्टाम्पित की जाएगी ।

††परन्तु जहां अनुज्ञप्ति के अनुदान के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित किए जाने वाले आयुधों के कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति प्ररूप 3, प्ररूप 4, प्ररूप 5 या प्ररूप 6 में अनुदत्त की जाती है वहां अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी, उसे अनुदत्त करते समय, यह निदेश देगा कि वे आयुध, जो अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आते हैं, इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, जिसे वह समय-समय पर बढ़ा सकेगा, अर्जित कर लिए जाएंगे और यह कि अनुज्ञप्ति, या आयुधों, या दोनों को उसके निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा और यदि ऐसी विनिर्दिष्ट या बढ़ाई गई कालावधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी आयुधों को अर्जित करने में और, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या आयुधों, या दोनों, को पेश करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्ति ऐसी कालावधि के अवसान पर प्रवृत्त नहीं रह जाएगी।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप

| नवीकरण की तारीख और वर्ष | नवीकृत अनुज्ञप्ति किस तारीख को समाप्त होती है | नवीकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) हस्ताक्षर तथा पदाभिधान | नियम 4 के अधीन अनुज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 1962 के सभी उपबन्धों के अध्यधीन अनुदत्त की जाती है।

2. यह केवल उसमें नामित व्यक्ति और उसमें वर्णित आयुध या गोलाबारूद और ऐसे प्रतिधारकों (यदि कोई हों) के लिए है, जो स्तम्भ 6 में प्रविष्ट किए जाएं :—

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा मान्यता प्राप्त शिकार अभिकर्ता है जिसके पास केन्द्रीय सरकार का इस प्रयोजन का प्रमाणपत्र है तो वह अपने उन शस्त्रों को, जो उसकी अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं, अपने साथ रहने वाले ऐसे किसी विदेशी पर्यटक को, जिसके पास स्थानीय आखेट नियमों के अधीन उस क्षेत्र के लिए, जहां उस विदेशी पर्यटक द्वारा शूटिंग आशयित है, विधिमान्य शूटिंग अनुज्ञप्ति है, उस पर्यटक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए उधार दे सकेगा

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र को केवल उस व्यक्ति को, जो उस प्रकार के शस्त्र को कब्जे में रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार है, आखेट के प्रयोजन के लिए एक पखवाड़े से अनधिक की कालावधि के लिए अस्थायी रूप से उधार इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि :—

(क) शस्त्र का उपयोग, उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारक की उपस्थिति में किया जाए या उसके ऐसे लिखित प्राधिकार के अधीन किया जाए, जिसमें शस्त्र का संख्यांक और अन्य पहचान-चिह्न, और ऐसी कालावधि, जिसके लिए वह उधार दिया गया है, दर्शित की जाएगी;

(ख) उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग करने की दशा में या उसकी घोर उपेक्षा के कारण उसके चोरी हो जाने या खो जाने की दशा में उसके लिए दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जा सकेगी, और

(ग) उधार लेने वाला व्यक्ति, मांग की जाने पर, इस बात का सबूत पेश करेगा कि शस्त्र उधार दिया गया था।

3. यदि अनुज्ञप्तिधारी वास्तविक विदेशी पर्यटक है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति पर "पर्यटक" शब्द मुद्रांकित करेगा।

4. यह अनुज्ञप्ति स्तम्भ 9 में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, अनुज्ञप्ति के उस राज्य के, जिसमें वह अनुदत्त या नवीकृत की गई है, बाहर के किसी क्षेत्र में प्रभावी होने की दशा में, किन्हीं ऐसे निर्बंधनों के, जो केन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र में आरोपित किए जाएं, अध्यधीन विधिमान्य होगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी या इस अनुज्ञप्ति के अधीन कार्य करने वाला कोई प्रतिधारक किन्ही ऐसे आयुधों को, जो अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं, आखेट/संरक्षा/प्रदर्शन के लिए सद्भाविक रूप से अन्यथा वहन नहीं करेगा और, जहां उसे संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है वहां के सिवाय, वह ऐसे किन्ही आयुधों को किसी मेले, धार्मिक जलूस या अन्य सार्वजनिक मजमे में (या किसी शैक्षणिक संस्था के निवेश या प्रसीमाओं के भीतर) नहीं ले जाएगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी, किन्ही आयुध या गोलाबारूद को खरीदने के समय, निम्नलिखित विशिष्टियां विक्रेता के हस्ताक्षर कराकर अपनी अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित करवाएगा, अर्थात् :—

(क) उस व्यक्ति का नाम, वर्णन और निवास स्थान, जो खरीदी गई वस्तुओं का परिदान लेता है;

(ख) खरीदी गई वस्तुओं की प्रकृति और मात्रा;

(ग) खरीदने की तारीख;

और यदि आयुध या गोलाबारूद अनुज्ञप्ति व्योवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से खरीदे जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां, लिखित रूप में, ऐसे प्राधिकारी को भी, जिसने वह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की थी, ऐसी कालावधि के भीतर, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित की जाए, भिजवाएगा। किन्तु गोलाबारूद की कोई भी खरीदी अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे लिखित प्रमाणपत्र पर के सिवाय अनुज्ञात नही की जाएगी जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि जितनी मात्रा में गोलाबारूद खरीदने की प्रस्थापना है उसे मिलाकर उसके कब्जे में के गोलाबारुद की कुल मात्रा उस अधिकतम मात्रा से, जिसे वह किसी एक समय पर कब्जे में रखने का हकदार है या वर्ष भर के लिए उसकी कुल अनुज्ञात मात्रा से, अधिक नहीं होगी।

7. वह किसी भी प्रकार का गोलाबारूद उस अधिकतम मात्रा से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, अधिक नही खरीदेगा। ऐसी अधिकतम मात्रा एक कलेंडर वर्ष में, खरीदी जा सकने वाली मात्रा, और किसी भी एक समय पर कब्जे में रखी जा सकने वाली मात्रा, इन दोनों के लिए विहित की जा सकेगी। किन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी एक वर्ष में खरीदे जा सकने वाले गोलाबारूद की कुल मात्रा को वर्ष के अन्त से पहले ही निःशेष कर देता है तो, उसके लिए, खरीदी जा सकने वाली कुल मात्रा, में अच्छे और पर्याप्त कारणों से, अनुज्ञापन प्राधिकारी के विवेकानुसार, अस्थायी रूप से वृद्धि की जा सकेगी।

8. वह सरकारी आयुध और गोलाबारूद को कब्जे में नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण :—इस शर्त के प्रयोजन के लिए :—

(क) "सरकारी आयुध" से वह अग्न्यायुध या अन्य शस्त्र अभिप्रेत है जो सरकार की सम्पति है; और

(ख) "सरकारी गोलाबारूद" से किसी सरकारी कारखाने में विनिर्मित या सरकार के लिए निर्मित और सरकार को प्रदाय किया गया ऐसा गोलाबारूद अभिप्रेत है, जो उस गोलाबारूद से भिन्न हो, जो सिविलियन उपयोग के लिए सरकार द्वारा निर्मोचित किया जाए।

9. अनुज्ञप्तिधारी :—

(क) प्राधिकृत आफिसर द्वारा मांग की जाने पर इस अनुज्ञप्ति के अधीन कब्जे में रखे गए आयुध पेश करेगा;

(ख) किन्हीं ऐसे आयुध या गोलाबारूद या उनके किसी भाग को, जो इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उन्हें कब्जे में रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार नहीं है, न तो देवेगा और न अन्तरित करेगा;

(ग) किन्ही ऐसे आयुध या गोलाबारूद के, जो इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं, खो जाने या चोरी हो जाने की इत्तिला निकटतम पुलिस थाने में तत्काल देगा; और

(घ) किन्हीं अग्न्यायुध या गोलाबारूद या उनके किसी भाग को (नीचे के टिप्पण मे वर्णित से अन्यथा) तोड़ने या व्ययनित करने के अपने आशय की पूर्व-प्रज्ञापना संबद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा और ऐसी प्रज्ञापना न देने पर, यह सबूत कि वस्तुएं तोड़ी या व्ययनित की गई हैं, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में दिया जाएगा।

10. शर्त 8, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा, यदि उसे केन्द्रीय सरकार ने ऐसा करने के लिए सशक्त किया है तो, रद्द की जा सकेगी और एक पृष्ठांकन बढ़ाया जा सकेगा जिसमें उन सरकारी आयुध या गोलाबारूद को दिखाया जाएगा जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

11. जहां अनुज्ञप्ति आखेट के प्रयोजन के लिए अनुदत्त की जाती है वहां अनुज्ञप्तिधारी या प्रतिधारक या शर्त 2 के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई विदेशी पर्यटक या अन्य व्यक्ति, या उस अनुज्ञप्ति के अधीन शस्त्र का उपयोग करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी निषिद्ध आखेट अवधि का अनुपालन करेगा जो शिकारी पक्षियों और जीव-जन्तुओं की बाबत संबद्ध राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

12(क) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञपित के नवीकरण के लिए अधिकारिता रखने वाले निकटतम अनुज्ञापन प्राधिकारी को, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो, आवेदन, अपने विकल्प पर, कर सकेगा।

(ख) यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास प्ररूप 3 में की कोई अनुज्ञप्ति है, अपने निवास स्थान में स्थायी-

रूप से या अस्थायी रूप से लगातार तीस दिन से अधिक के लिए परिवर्तन करता है और अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले शस्त्र को अनुज्ञप्ति के स्तंभ 2 में उपदर्शित से भिन्न स्थान पर अपने साथ ले जाता है तो वह (ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर ) ऐसे परिवर्तन के बारे में अपने नए निवास स्थान के अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना भेजेगा साथ ही साथ, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी को भी सूचना भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति अनुदत्त की थी या उसे अंतिम बार नवीकृत किया था, और मांग किए जाने पर प्रथम वर्णित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति और शस्त्र को अनुज्ञप्तिधारी के नए निवास स्थान की विशिष्टियों को उसमें उपदर्शित करने के लिए अनुज्ञप्ति में आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए तुरन्त पेश करेगा।

13. पूर्ववर्ती शर्तों में से किसी भी शर्त के भंग होने पर इस अनुज्ञप्ति की शून्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह अनुज्ञप्ति शून्य होगी, यदि :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाए; या

(ख) कोई शस्त्र, जो इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आता है :—

(i) बेच दिया जाए या अन्तरित कर दिया जाए; या

(ii) किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर लिया जाए।

परन्तु जहां किसी शस्त्र को बेच दिया जाता है या अन्तरित कर दिया जाता है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी कालावधि के भीतर जो उस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और निम्नलिखित के अधीन रहते हुए उस अनुज्ञप्तिधारक को उसी प्रकार के किसी नए शस्त्र को अर्जन करने के लिए अनुज्ञा द सकेगा—

(क) नियम 52 के उपनियम (2) के अधीन यथा अपेक्षित इस प्रकार अर्जित किए गए शस्त्र या अनुज्ञप्ति या दोनों को पूर्वोक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश करना, तथा

(ख) इस प्रकार अर्जित किए गए शस्त्र की बाबत विहित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करना।

14. अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत करने वाले प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति के चालू बने रहने के दौरान किसी भी समय यह पूछताछ करने का अधिकार है कि क्या वह या वे शस्त्र, जिसके या जिनके लिए यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अभी भी अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में है या हैं और यह अपेक्षा करने का भी अधिकार है कि ऐसी पूछताछ के प्रयोजनों के लिए उसे या उन्हें पेश किया जाए ।

टिप्पण :—1. इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का भंग किया जाना कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय है ( अधिनियम की धारा 30 )।

टिप्पण :—2. अनुज्ञप्तिधारियों को यह चेतावनी दी जाती है कि यदि वे किन्हीं ऐसे आयुध या गोलाबारूद को, जो उनके कब्जे में की अनुज्ञप्तियों के अन्तर्गत आते हैं, किसी व्यक्ति को बेचते या अन्तरित करते हैं तो, वे ऐसे विक्रय या अन्तरण की, और साथ ही अन्यायुधों और गोलाबारूद को तथा उस व्यक्ति को, जिसे वे बेचें या अन्तरित किए गए हैं, विशिष्टियों की लिखित इत्तिला अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को, तत्काल देगा ( आयुध अधिनियम 1959 की धारा 5 )। ऐसी इत्तिला न देना कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय है। [ अधिनियम की धारा 25 (3)।]"

[सं. V-11026/143/93-आर्म्स]
अजीत सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य नियम सा. का. नि. 987 तारीख 13 जुलाई, 1962 के तहत अधिसूचित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा. का. नि. के द्वारा उनका संशोधन किया गया था :—

1. सा. का. नि. 326 तारीख 30-1-1963
2. सा. का. नि. 633 तारीख 23-4-1965
3. सा. का. नि. 1006 तारीख 16-7-1965
4. का. आ. 1461 तारीख 22-4-1967
5. सा. का. नि. 266 तारीख 7-2-1969
6. सा. का. नि. 2475 तारीख 22 10-1969
7. सा. का. नि. 1689 तारीख 9-9-1970
8. सा. का. नि. 278 तारीख 17-2-1975
9. सा. का. नि. 733 तारीख 1-7-1975
10. सा. का. नि. 462 (अ) तारीख 11-8-1976
11. सा. का.नि. 1242 तारीख 11-8-1976
12. सा. का. नि. 695 (अ) तारीख 8-8-1987
13. सा. का. नि. 52 (अ) तारीख 24-1-1989
14. सा. का. नि. 404 (अ) तारीख 28-3-1990
15. सा. का. नि. 755 (अ) तारीख 18-10-1994

अनुसूची 4

(नियम 57 देखिए)

अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फीस

| क्रम सं. | प्ररूप सं. | अनुदान के आरम्भिक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति फीस (रुपए में) | प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष के लिए नवीकरण फीस (रुपए में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 150 | 50 |
| 2. | 2 | 50 | 10 |
| 3. | 3 (क) पिस्तौल, रिवाल्वर और आवर्तक राइफल | 100 | 50 |
| | (ख) (क) और (ग) में वर्णित राइफल से भिन्न राइफल | 60 | 30 |
| | (ग) रिमदार कारतूस फायर करने वाली .22 बोर की राइफल (धीमा वेग), बी.एल. बन्दूक, हवाई राइफल | 40 | 20 |
| | (घ) एम.एल. बन्दूक, हवाई बन्दूक, तलवार, संगीन, कटार और भाला बल्म | 10 | 05 |
| | (ङ) प्रवर्ग 5 के शस्त्र जो उनसे भिन्न हों जो (घ) में वर्णित हैं | . | . |
| 4 | 3–क | .. | .. |
| 5 | 3–ख | .. | .. |
| 6. | 4 | .. | .. |
| 7. | 5 | .. | .. |
| 8. | 6 | | |
| | (क) पिस्तौल या रिवाल्वर | 100 | 50 |
| | (ख) खण्ड (ग) में वर्णित राइफल से भिन्न राइफल | 60 | 30 |
| | (ग) रिमदार कारतूस फायर करने वाली .22 बोर की राइफल (धीमा वेग), बी.एल. बन्दूक या हवाई राइफल | 40 | 20 |
| | (घ) एम.एल. बन्दूक या हवाई बन्दूक | 10 | 05 |
| 9. | 7 | 20 (प्रत्येक शस्त्र के लिए) | . |
| 10. | 8 | 20 (प्रत्येक शस्त्र के लिए) | . |
| 11. | 9 | 500 | 200 |
| 12. | 10 | | |
| | (क) प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति धारक के लिए | . | .. |
| | (ख) दूसरों के लिए | 200 | 100 |
| 13. | 11 | 300 | 200 |
| 14. | 12 | 300 | 200 |
| 15. | 13 | | |
| | (क) प्ररूप 9 में अनुज्ञप्तिधारकों के लिए | . | .. |
| | (ख) केवल प्रवर्ग 5 के आयुधों के लिए | 50 | 100 |
| | (ग) अन्य आयुधों के लिए | 100 | 100 |
| 16. | 14 | .. | .. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17. | 15 | | |
| | (क) अग्न्यायुध और गोलाबारूद | (एक शस्त्र के लिए) 100<br>अन्य मामलों में 500<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ख) प्रवर्ग 5 के आयुध (जहां अनुज्ञप्ति अपेक्षित है) | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोला बारूद का परेषण) | |
| | (ग) नियम 57(5) के अधीन आयात किए गए गंधक के लिए | | |
| 18 | 16 | | |
| | (क) अग्न्यायुध और गोलाबारूद | (एक शस्त्र के लिए) 100<br>अन्य मामलों में 500<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ख) प्रवर्ग 5 के आयुध | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक अस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| 19. | 17 | | |
| | (क) अग्न्यायुद्ध और गोलाबारूद | (एक शस्त्र के लिए) 100<br>अन्य मामलों में 500<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ख) प्रवर्ग 5 के आयुध | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| 20. | 18 | | |
| | (क) अग्न्यायुध और गोलाबारूद | (एक शस्त्र के लिए) 100<br>अन्य मामलों में 500<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ख) प्रवर्ग 5 के आयुध | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोला-बारूद का परेषण) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21. | 19 | | |
| | (क) अध्याय IX और गोलाबारूद | (एक शस्त्र के लिए) 100<br>अन्य मामलों में 500<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ख) नियम 5 के अधीन | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ग) नियम 35 के अधीन पुनःनियति और पुनःआयात के लिए | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| 22. | 20 | | |
| | (क) अध्याय IX और गोलाबारूद | (एक शस्त्र के लिए) 100<br>अन्य मामलों में 500<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ख) नियम 5 के अधीन | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| | (ग) जहां शस्त्र और गोलाबारूद नियम 35 के अधीन पुनःनियति और पुनःआयात के लिए सम्मिलित किए जाते हैं, वहां | (एक शस्त्र के लिए) 50<br>अन्य मामलों में 100<br>(अर्थात् एक शस्त्र से अधिक शस्त्रों का और गोलाबारूद का परेषण) | |
| 23. | 21 | | |
| 24. | 22 | (प्रत्येक शस्त्र के लिए) 50 | |

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th December, 1997

G.S.R. 1.—In exercise of the powers conferred by Section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 47, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The depositor may be charged a fee for the custody of the articles deposited at the following rates :

1. For each firearm—Fifty rupees per year or portion thereof.

2. For every other weapon or package of ammunition.—Rs. 25 per year or portion thereof.

Any extra charges for maintenance of the articles in good condition may be levied at such rates as may be fixed from time to time by the State Government."

3. In the said rules, in rule 57,—

(i) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) Every licence granted or renewed under these rules shall, save as herein otherwise expressly

provided, be chargeable with the fee (if any) specified in Schedule—IV.";

(ii) in sub-rule (2), in clause (b), for letters and figure "Rs. 5" the letters and figure "Rs. 100" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 58,—

(i) in clause (a), for letters and figure "50 np" the letters and figure "Rs. 50" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "one rupee" the letters and figure "Rs. 100" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 59,—

(i) in clause (a)—

(a) for letters and figure "Rs. 10" the letters and figure "Rs. 100" shall be substituted,

(b) for letters and figure "Rs. 5" the letters and figure "Rs. 50" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for letters and figure "Rs. 5", the letters and figure "Rs. 50" shall be substituted.

6. In Schedule III,—

(i) in Forms I, II, II(A), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, and XXII, the word fee and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) for Form III, the following form shall be substituted, namely,—

"Form III

Licence for the acquisition, possession and carrying of arms or ammunition for sport/protection/display*

I. The fees payable in respect of the initial grant and each subsequent year of grant or renewal of licences in this Form shall be at the rates as shown against Sl. No. 3 under Schedule IV.

II. The reduced fees for renewal will ordinarily be available only if application for renewal is made within one month after the date of expiry of the licence and if application is not made within that period, the licensing authority may in his discretion, levy—

(a) Full fee as for initial grant of the licence; and

(b) if he is satisfied that the delay is not justifiable or excusable, not serious enough to warrant revocation of the licence or prosecution of the licensees, a late fee not exceeding the amount of the licence fee if fee is charged, or Rs. 100 in other cases, unless he considers it not necessary to renew the licence.

III. Where a licence in this Form is granted or renewed for a period exceeding one year, the fee shall be calculated at the rates prescribed against Sl. No. 3 under Schedeule IV, fractions of a year being reckoned as one whole year for the purpose :

(i) Provided that the fee shall be—

(a) The actual rates prescribed against Sl. No. 3 under Schedule IV for initial grant in respect of the first year; and

(b) The annual rate prescribed against Sl. No. 3 under Schedule IV for renewal in respect of each year or part thereof beyond the first year.

| Serial No. of licence | Name, description and residence of licensee | Arms and ammunition that licensee is entitled to possess | | | Name, father's name and address of retainer (if any) covered by the licence |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brief description of each weapon with details e.g. identification marks, register number, etc. | Quantity & description of each kind of ammunition | | |
| | | | to be possessed at any one time | purchaseable during the year | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Arms or ammunition that retainer is entitled to possess | | Area within which the licence is valid | **Date on which licence expires | Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before licensing authority under Rule 52(2) |
|---|---|---|---|---|
| Arms | Ammunition | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

रजिस्ट्री सं० डी० एल-33001/97

REGISTERED NO. D. L.—33001/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 1998/ फाल्गुन 2, 1919
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 1998/PHALGUNA 2, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 26.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद सर्वश्री श्री कोनाकुपाकाटिल गोपिनाथन बालाकृष्णन, श्री कुन्दन सिंह, श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव जिन्हें क्रमशः केरल व इलाहाबाद उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000 रु. (केवल दो हजार रु०) अथवा वेतन का 10% इनमें से जो भी अधिक हो, प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के.-11017/10/96-यू.एस.-II]
एम. एम. सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

New Delhi, the 12th January, 1998

G.S.R. 26.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That S/Shri Justices Konakuppakattil Gopinathan Balakrishnan, Kundan Singh and Dinesh Chandra Srivastava, Judges of the Gujarat High Court, who have been transferred from the Kerala and Allahabad High Courts respectively, shall be entitled to receive in addition to their salaries, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000 (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of their services as Judges of the Gujarat High Court.

[No. K-11017/10/96-US-II]
M. M. SINHA, Under Secy.

5. The licensee or any retainer acting under this licence shall not carry any arms covered thereby otherwise than in good faith for the purpose of sport/protection/display and, save where he is specially authorised in this behalf by the district magistrate concerned, he shall not take any such arms to a fair, religious procession or other public assemblage (or within the campus or precincts of any educational institution).

6. The licensee, at the time of purchasing any arms or ammunition shall cause the following particulars to be endorsed upon his licence under the vendor's signature, namely—

(a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles purchased;

(b) the nature and quantity of the articles purchased; and

(c) the date of purchase;

and if the arms or ammunition are purchased from any person other than a licensed dealer, shall also cause the particulars specified in clauses (b) and (c) to be furnished in writing to the authority who granted this licence within such period as may be prescribed for this purpose by such authority. No purchase of ammunition shall, however, be permitted except on written certificate from the licensee certifying that with the amount proposed to be purchased, the total quantity of ammunition in his possession will not exceed the maximum which he is entitled to possess at any one time, or his total allowance for the year.

7. He shall not purchase ammunition of any kind in excess of the maximum which may from time to time be fixed by the Central Government. Such maximum may be prescribed both for the amount purchasable in a calendar year and for the amount that may be possessed at any one time. If, however, a licensee exhausts the total quantity of ammunition purchasable in a year earlier than the close of the year, he may for good and sufficient reasons be given a temporary increase in the total quantity purchasable at the discretion of the licensing authority.

8. He shall not possess Government arms and ammunition.

Explanation—For the purpose of this condition—

(a) "Government arm" means a firearm or other weapon which is the property of the Government; and

(b) "Government ammunition" means ammunition manufactured in any Government factory, or prepared for and supplied to Government other than such ammunition as may be released by Government for civilian use.

9. The licensee shall—

(a) on demand by an authorised officer produce the arms possessed under this licence;

(b) not sell or transfer any arms or ammunition or any part thereof covered by this licence to any person not lawfully entitled to possess them;

(c) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by this licence; and

(d) give prior intimation to the licensing authority concerned of his intention to break up or dispose of any firearms or ammunition or any part thereof (otherwise than as mentionted in note below); failing which, proof of the articles having been broken up or disposed of will have to be furnished to the satisfaction of the licensing authority.

10. Condition 8 may be cancelled by the authority granting the licence if empowered to do so by the Central Government, and an endorsement added showing the Government arms or ammunition which the licensee is authorised to possess.

11. Where the licence is granted for the purpose of sport, the licensee or any other retainer or any foreign tourist or other person referred to in the proviso to condition 2 or any other person using the weapon under the licence shall observe such close season as may be prescribed by the State Government concerned in respect of the gamebirds and animals.

12. (a) The licensee may, at his option apply to the nearest licensing authority having jurisdiction for renewal of the licence as and when it becomes necessary.

(b) If a person who holds a licence in form III changes his place of residence, permanently, or temporarily for more than thirty consecutive days, and carries with him the weapon covered by the licence, to a place other than that indicated in column 2 of the licensee, he shall (within thirty days of such change), send intimation about such change to the licensing authority of the place of his new residence as well as to the authority which granted the licence or last renewed it, as the case may be, and shall, on demand, forthwith produce the licence and the weapon to the first mentioned authority for making necessary entry in the licence to indicate therein the particulars of the new residence of the licensee.

13. Without prejudice to the voidance of this licence for breach of any of the foregoing conditions, it shall be void if—

(a) the licensee dies, or

(b) any weapon covered thereby—

(i) is sold, or transferred, or

(ii) is attached in execution of a decree;

Provided that where a weapon is sold or transferred the licensing authority may permit the holder of the licence to acquire a fresh weapon of the same description within such period as may be specified by him in this behalf and subject to—

(a) the production of the weapon so acquired or the licence or both before the aforesaid licensing authority for inspection as required under sub-rule (2) of rule 52, and

(b) the payment of the prescribed licence fee in respect of the weapon so acquired.

14. The authority granting or renewing the licence has the right to enquire at any time during the currency of the licence whether the weapon or weapons for which it has been granted is or are still in the possession of the licensee and to require its or their production for the purposes of such enquiry.

NOTE 1.—Any breach of the conditions of this licence *is punishable with imprisonment for a term which may extend to* six months or with fine which may extend *to* Rs. 2,000/- or with both (section 30 of the Act).

NOTE 2.—Licensees are warned that in case they sell or transfer any arms or ammunition covered by the licences possessed by them to any person, they shall forthwith inform in writing the district magistrate having jurisdiction or the officer-in-charge of the nearest police station, of such sale or transfer, together with the particulars of the firearms and ammunition and the person to whom they have been sold or transferred (section 5 of the Arms Act, 1959). Failure to give such information is punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to Rs. 500 or with both [section 25(3), of the Act]."

[No. V-11026/143/93-ARMS]

AJIT SINGH, Under Secy.

FOOT NOTE :

The principal rules were noticed vide G.S.R. No. 987 dated the 13th July, 1962 and were subsequently amended vide the following notifications :

1. GSR 326 dated 30-1-1963
2. GSR 633dated 23-4-1965
3. GSR 1006 dated 16-7-1965

4. SO 1461 dated 22-4-1967
5. GSR 266 dated 7-2-1969
6. GSR 2475 dated 22-10-1969
7. GSR 1689 dated 9-9-1970
8. GSR 278 dated 17-2-1975
9. GSR 733 dated 1-7-1975
10. GSR 462 (E) dated 11-8-1976
11. GSR 1242 dated 11-8-1976
12. GSR 695 (E) dated 8-8-1987
13. GSR 52 (E) dated 24-1-1989
14. GSR 404 (E) dated 28-3-1990
15. GSR 755 (E) dated 18-10-1994

## SCHEDULE IV

(*See* Rule 57)

Fees payable for licences

| S. No. | Form No. | Licence fee for initial year of grant (In Rs.) | Renewal fee for each subsequent year (In Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I | 150 | 50 |
| 2. | II | 50 | 10 |
| 3. | III | | |
| | (a) Pistols, revolvers and repeating rifle | 100 | 50 |
| | (b) Rifles other than those mentioned in (a) and (c) | 60 | 30 |
| | (c) .22 bore rifle (low velocity) firing rimmed cartridges, BL gun and air-rifle. | 40 | 20 |
| | (d) ML gun, air gun, sword, bayonet, dagger and spearlance. | 10 | 05 |
| | (e) Weapons of category V other than those mentioned in (d). | — | — |
| 4. | III–A | — | — |
| 5. | III–B | — | — |
| 6. | IV | — | — |
| 7. | V | — | — |
| 8. | VI | | |
| | (a) Pistol or Rev. | 100 | 50 |
| | (b) Rifle other than those mentioned in (c) | 60 | 30 |
| | (c) .22 bore rifle (low velocity) firing rimmed ctdgs. BL gun or rifle. | 40 | 20 |
| | (d) ML gun or air-gun | 10 | 05 |
| 9. | VII | 20 (for each weapon) | — |
| 10. | VIII | 20 (for each weapon) | — |
| 11. | IX | 500 | 200 |
| 12. | X | | |
| | (a) to a holder of licence in form–IX | — | — |
| | (b) to others | 200 | 100 |
| 13. | XI | 300 | 200 |
| 14. | XII | 300 | 200 |
| 15. | XIII | | |
| | (a) To the holders of a licence in form IX | — | — |
| | (b) For arms of Cat. V only | 50 | 100 |
| | (c) Otherwise | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | XIV | | |
| 17. | XV | — | — |
| | (a) Firearms and ammun. | 100 (for single weapon)<br>500 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition) | |
| | (b) Arms of Cat. V (where a licence is required) | 50 (for single weapon)<br>100 (in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| | (c) For sulphur imported under Rule 57 (5) | — | — |
| 18. | XVI | | |
| | (a) Firearms and ammun. | 100 (for single weapon)<br>500 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| | (b) Arms of Cat. V | 50 (for single weapon)<br>100 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| 19. | XVII | | |
| | (a) Firearms and ammun. | 100 (for single weapon)<br>500 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| | (b) Arms of Cat. V | 50 (for single weapon)<br>100 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| 20. | XVIII | | |
| | (a) Firearms and ammun. | 100 (for single weapon)<br>500 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| | (b) Arms of Cat. V | 50 (for single weapon)<br>100 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| 21. | XIX | | |
| | (a) Fircarms and ammunition | 100 (for single weapon)<br>500 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| | (b) Arms of Cat. V | 50 (for single weapon)<br>100 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| | (c) For re-export and re-import under Rule 35 | 50 (for single weapon)<br>100 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| 22. | XX | | |
| | (a) Firearms and Ammun. | 100 (for single weapon)<br>500 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |
| | (b) Arms of Cat. V | 50 (for single weapon)<br>100 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition). | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | (c) Where the arms or ammunition are transported for re-export and re-import under Rule 35. | 50 (for sirgle weapon)<br>100 in other cases (i.e. consignment of more than one weapon and of ammunition) |
| 23. | XXI | | |
| 24. | XXII | | 50 (for each weapon) |

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1997

सा०का०नि०—2.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड (i) में दिनांक 10 अगस्त, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार गृह मंत्रालय की 9 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना सा०का०नि सं० 334 के प्रथम कालम "लघु शीर्ष और प्रारंभ" में 1995 के स्थान पर 1996 पढ़ा जाएगा । इसी प्रकार अनुसूची के दूसरे कालम "सभी श्रेणियों के पद" में भी 1995 के स्थान पर 1996 पढ़ा जाएगा ।

[सं०-9-4/91-सी०एफ०एस०एल०/डी.पी.सी./सी०एस०आर०]

पी० सी० रस्तोगी, निदेशक (एस०पी०)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd December, 1997

G.S.R. 2.—In the Notification of Government of India in the Ministry of Home Affairs, G.S.R. No. 334, dated the 9th April, 1996 published in the Gazette of India, Part-II, Section (i) dated 10th August, 1996 in the first column, in the "short title & commencement", for 1995 read 1996. Also in the second column of the schedule in all caetgories of post for 1995, read 1996.

[No. 9-4/91-CFSL/DPC/CSR]

P. C. RASTOGI, Director (SP)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि. 3—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राजस्व सेवा नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राजस्व सेवा (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय राजस्व सेवा नियम, 1988 में,—

(क) नियम 9 में,—

(i) शीर्षक में, "(कनिष्ठ वेतनमान)" कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) "सहायक आयकर आयुक्त (कनिष्ठ वेतनमान)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "सहायक आयकर आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 10 में "ज्येष्ठ वेतनमान" शब्दों का लोप किया जायेगा।

[फा.सं. ए-12018/1/95-ए डी-6]

जे. एल. साहनी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 563(अ), तारीख 12 मई, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 295, तारीख 14 जून, 1995 द्वारा उसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th December, 1997

G.S.R. 3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Revenue Service Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Revenue Service (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Revenue Service Rules, 1988,—

(a) in rule 9,—

(i) in the heading, the brackets and words "(Junior Scale)" shall be omitted ; and

(ii) for the words and brackets "Assistant Commissioner of Income-tax (Junior Scale)", the words "Assistant Commissioner of Income-tax" shall be substituted ;

(b) in rule 10, the words "Senior Scale" shall be omitted.

[F. No. A-12018/1/95-Ad.VI]

J. D. SAWHNEY, Under Secy.

NOTE : The principal rules were published vide G.S.R. 563(E) dated the 12th May, 1988 and subsequently amended vide G.S.R. 295 dated 14th June, 1995.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1997

सा०का०नि०.. 4:—राष्ट्रपति एतद्द्वारा मूल नियमों के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में बैंक नोट प्रेस देवास के कर्मचारियों के लिए आवास के आवंटन को शासित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्

विभाजन :—प्रेस के कर्मचारियों को या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत और प्रेस के लिए काम कर रहे कर्मचारियो को महा प्रबंधक बैंक नोट प्रेस देवास के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आवासों का आवंटन ।

एस० आर० 317–बी०एन०पी–1 :—संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा प्रयोज्यता :—(1) इन नियमों को सरकारी आवासों का आवंटन (बैंक नोट प्रेस, देवास) नियमावली, 1997 कहा जाएगा ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

(3) वे बैंक नोट प्रेस कालोनी, देवास में आवास के आबंटन के लिए लागू होंगे ।

एस०आर० 317–बी०एन०पी०–2 :—परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) आवंटन, का अभिप्राय इन नियमों के उपबंधों के अनुसार आवास का अधिग्रहण करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना है ।

(ख) "आवंटन वर्ष" का अभिप्राय पहली जनवरी से अथवा ऐसी अन्य अवधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, आरम्भ होने वाला वर्ष है ;

(ग) "प्रेस" से अभिप्राय बैंक नोट प्रेस, देवास से है ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य महाप्रबंधक है और बैंक नोट प्रेस, देवास के इसमें उप महा प्रबंधक या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं ;

(ङ) "पात्र कार्यालय" का अभिप्राय बैंक नोट प्रेस, देवास अथवा केवल ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो देवास में रहते हैं तथा बैंक नोट प्रेस देवास में कार्य कर रहे है, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्य विभाग हैं ।

(च) "परिलब्धियां" का अभिप्राय जैसा कि मूल नियम-9(21)(क)(1) में यथा परिभाषित वेतन से है ;

स्पष्टीकरण :—

ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो कि निलम्बित किया गया हो, उसके द्वारा आवंटन वर्ष, जिसमें उन्हें निलम्बित किया गया है, के पहले दिन प्राप्त की गई परिलब्धियां या यदि उन्हें आवंटन वर्ष के पहले दिन निलम्बनाधीन है तो उस तारीख से तुरन्त पहले उनके द्वारा प्राप्त की गई परिलब्धियां ही उसकी परिलब्धियों के रूप में मानी जाएंगी ,

(छ) "परिवार" से आशय पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, और बच्चे, सौतेले बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, माता पिता, भाई या बहन है, जो कि सामान्यता कर्मचारी के साथ रहते है और उस पर आश्रित हैं,

(ज) "सरकार" से आशय केन्द्रीय सरकार से है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(झ) "लाइसेंस शुल्क" से तात्पर्य इन नियमों के तहत आवंटित किसी आवास के सम्बन्ध में मूल नियमो के उपबन्धों के अनुसार मासिक रूप से अदा की जाने वाली राशि से है ;

(ञ) किसी कर्मचारी को आवास के प्रकार, जिस के लिए वह एस०आर०-317–बी- 5 के तहत पात्र है के सम्बन्ध में पूर्विकता तारीख का अभिप्राय, वह सर्वप्रथम तारीख है जिससे वह निरन्तर सेवा में है तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या छुट्टी की अवधि के अलावा बाध्य सेवा के अन्तर्गत किसी पद पर किसी विशेष श्रेणी या उच्चतर श्रेणी से संबंद्ध परिलब्धियां प्राप्त कर रहा है ।

परन्तु यह कि जहां दो या उससे अधिक कर्मचारियों की पूर्विकता तारीख एक हो, उनके बीच वरिष्ठता परिलब्धियों द्वारा निर्धारित की जाएगी ; अधिक परिलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारियो को कम परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों पर तरजीह दी जाएगी ; जहां सेवा-काल की अवधि के आधार पर परिलब्धियां समान हो और जहां परिलब्धियां और सेवाकाल की अवधि कर्मचारी के वेतनमान के आधार पर समान हो तो अधिक वेतनमान वाले पद पर काम करने वाले अधिकारी को कम वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी पर तरजीह दी जाएगी और जहां सभी स्थितियां समान हों वहां वरिष्ठता जन्म की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी और जहां जन्म की तारीख भी समान हो वहां वरिष्ठता कर्मचारी के नाम के आरम्भ के अक्षर के अनुसार तय की जाएगी ;

(ट) "आवास" से अभिप्राय उस समय तक के लिए समक्ष प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में फिलहाल के लिए कोई आवास है, जब तक वहां काम करता है ;

(ठ) "किराए पर देने" से तात्पर्य है किसी आबंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, उस अन्य व्यक्ति द्वारा लाइसेंस शुल्क को अदा करने या अदा किए बिना आवास में भागीदारी करना ;

स्पष्टीकरण :—

किसी आबंटी द्वारा निकट सम्बन्धियों के साथ आवास में भागीदारी करने को किराए पर देना नहीं माना जाएगा ।

(ड) "अस्थायी स्थानान्तरण" से अभिप्राय ऐसे स्थानान्तरण से है जिसमें कम से कम चार महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहना शामिल है ;

(ढ) "स्थानान्तरण" से अभिप्राय है बैंक नोट प्रेस, देवास से बाहर स्थानान्तरण या बैंक नोट प्रेस से सम्बन्धित कार्य या उससे जुड़े कार्य से स्थानान्तरण है ;

(ण) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में श्रेणी से तात्पर्य आवास की उस श्रेणी से है जिसके लिए वह एस०आर० 317-बी-5 के तहत पात्र है ।

एस०आर० 317-बी०एन०पी०-3 :—स्वयं के स्वामित्व वाले घर के मालिक कर्मचारियों को आवंटन :—1. इस नियम में,

(क) "संलग्न नगर पालिका" का अर्थ स्थानीय नगर निगम से लगी हुई कोई नगर पालिका है ;

(ख) किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के सम्बन्ध में "घर" से तात्पर्य है कोई भवन या उस का भाग जो आवासीय उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता हो तथा स्थानीय नगर पालिका (या किसी संलग्न नगर पालिका) के अधिकार क्षेत्र में स्थित हो ।

स्पष्टीकरण :—

एक भवन जिसका कोई भाग आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसे इसके बावजूद कि उसका कोई भाग गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, इस खंड के प्रयोजनार्थ घर माना जाएगा ।

(ग) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में स्थानीय नगरपालिका से अभिप्राय है वह नगर पालिका जिसके अधिकार क्षेत्र में उस का कार्यालय स्थित है ;

(घ) कर्मचारी के सम्बन्ध में "परिवार के सदस्य" से अभिप्राय पत्नी या पति है जैसा भी मामला हो या कर्मचारी पर आश्रित बच्चे से है ।

(ङ) "नगर पालिका" में कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका समिति या बोर्ड, कोई शहरी क्षेत्र समिति, कोई अधिसूचित क्षेत्र समिति और कोई छावनी बोर्ड शामिल है ।

2. यदि किसी कर्मचारी का उस के कार्य करने के स्थान पर या संलग्न नगर पालिका क्षेत्र में उस के अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर घर है तो भी वह उस दर पर, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, उन्हें आबंटित सरकारी आवास के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर सरकारी आवास का आवंटन पाने का पात्र होंगे ।

3. किसी कर्मचारी को सरकारी आवास का आवंटन होने के बाद यदि वह या उस के परिवार का कोई सदस्य उन के कार्य करने के स्थान पर (या संलग्न नगर पालिका में) घर का स्वामी बनता है तो वह कर्मचारी उस आवास को किराए पर देने, या अधिग्रहित करने या पूरा होने की तारीख के, जो भी पहले हो, एक महीने की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को इस तथ्य के बारे में सूचित करेगा ।

एस०आर० 317-बी०एन०पी०-4 :—पति और पत्नी के रोजगारयुक्त होने की स्थिति में आवंटन के लिए पात्रता :

(1) इन नियमों के तहत ऐसे किसी भी कर्मचारी को यदि उक्त कर्मचारी को, पति या पत्नी को जैसा भी मामला हो, पहले से ही आवास आवंटित किया गया है तो जब तक उस आवास को वापिस न किया जाए तब तक आवास आबंटित नहीं किया जाएगा ।

(2) परन्तु यह कि यह उप-नियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक पृथकीकरण के आदेश के अनुसरण में अलग-अलग रह रहे हों ।

(3) इन नियमों के तहत जहां अलग-अलग आवंटित आवासों में रहने वाले दो कर्मचारी आपस में विवाह करते हैं तो उन्हें उनके विवाह के एक महीने के भीतर एक आवास को वापिस करना होगा ।

(4) यदि उप-नियम (2) के द्वारा अपेक्षित कोई आवास वापिस नहीं किया जाता तो एक महीने की अवधि के समाप्त होने के बाद निम्न प्रकार के आवास का आवंटन रद्द समझा जाएगा और यदि दोनों आवास एक ही टाइप के हैं तो उनमें से एक का आबंटन जिसके बारे में सक्षम प्राधिकारी रद्द करने का निर्णय ले, उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद रद्द हो जाएगा ।

(5) यदि पति और पत्नी दोनों पात्र कार्यालय में कार्यरत हैं तो इन नियमों के तहत आवास के आवंटन के लिए उनमें से प्रत्येक के नाम के बारे में पृथक रूप से विचार किया जाएगा ।

सारणी

| आवास का प्रकार | कर्मचारी की परिलब्धियां | टिप्पणी |
|---|---|---|
| टाइप–I/क | 949 रु. तक | इस टाइप में उप महाप्रबंधक, मुख्य रसायनज्ञ, मुख्य इंजीनियर, कार्य प्रबंधक प्रबंधक (नियंत्रण), वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बैंक नोट प्रेस अस्पताल के प्रभारी) प्रत्येक के लिए एक क्वार्टर उद्दिष्ट है । |
| टाइप-II | 950 रु. से 1499 रु. तक | |
| टाइप-III/ग | 1500 रु. से 2799 रु. तक | |
| टाइप-IV/घ | 2800 रु. से 3599 रु. तक | |
| टाइप-V/ड़ | 3600 रु. से और अधिक | |
| टाइप–VI | | महा प्रबंधक के लिए । |

एस०आर०-317-बी०एन०पी०-5 :—

आवासों का वर्गीकरण :—कोई कर्मचारी दिखाई गई सारणी में दर्शाई गई उस की परिलब्धियों के उपयुक्त प्रकार के आवास के आवंटन के लिए पात्र होगा :

एस०आर०-317-बी०एन०पी० 6 :—

आवंटन के लिए आवेदन :—(1) कोई कर्मचारी जिसके पास सरकारी आवास है, ऊंचे टाइप के आवास के लिए पात्र होने पर इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म, तरीके व तारीख तक अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि किसी कर्मचारी के पास सरकारी आवास नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को ऐसे फार्म और तरीके तथा उनके द्वारा निर्धारित तारीख से पहले मंगाएगा ।

(3) नए नियुक्त हुए या स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारी अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा कैलेंडर माह के 20 वें दिन को या उससे पहले प्राप्त आवेदनों पर आवंटन के प्रयोजन से आवंटन के लिए उन पात्रता और खाली आवासों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

एस०आर०-317-बी०एन०पी०-7 :—

आवासों का आवंटन :—इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय खाली होने वाला कोई आवास सक्षम प्राधिकारी द्वारा तरजीही रूप से एस०आर०-317-बी-11 के उपबन्ध के तहत उस टाइप में आवास का परिवर्तन चाहने वाले प्रार्थी को आवंटित किया जाएगा और यदि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकता न हो तो, निम्न शर्तों के अध्यधीन आवास के उस प्रकार के लिए सबसे पहली पूर्विकता तारीख वाले बिना आवास वाले प्रार्थी को आवंटित किया जाएगा ।

(क) सक्षम प्राधिकारी किसी प्रार्थी को उस टाइप से नीचे के टाइप के आवास को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसके लिए वह एस० आर०-317-बी-5 के तहत पात्र है ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी किसी प्रार्थी के निम्न वर्ग के आवास का आवंटन करने के अनुरोध पर उसे उस टाइप से नीचे के वर्ग का आवंटन कर सकता है जिसके लिए प्रार्थी उस की पूर्विकता तारीख के आधार पर 317-बी-5 के तहत पात्र है ।

(2) यदि कर्मचारी के कब्जे वाले आवास को खाली कराया जाना अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी के वर्तमान आवंटन को रद्द कर सकता है और उसे उसी टाइप के वैकल्पिक आवास का आवंटन कर सकता है या आपात स्थितियों में कर्मचारी के कब्जे के आवास के टाइप से नीचे का वैकल्पिक आवास आवंटित कर सकत है ।

(3) उप-नियम (1) और (2) के तहत किसी कर्मचारी को आवंटन के अतिरिक्त किसी खाली आवास को एक ही समय में किसी अन्य पात्र कर्मचारी को उनकी पूर्विकता तारीख के क्रम में दिया जा सकता है ।

एस०आर०-317-बी०एन०पी०-8 :—

प्राथमिकता पर आवंटन :—इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टरों का आवंटन किया जा सकता है अर्थात् :—

(1) अस्पताल की महिला कर्मचारी

(2) कम कार्यकालिक अधिकारी (स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति वाले)

(3) कुछ खास वर्ग के कर्मचारी जिन का वास संगठन के सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत

जरूरी है । ऐसे अधिकारी उस टाइप के नीचे के टाइप के आवास के आवंटन के अधिकारी होंगे जिस के लिए वे एस०आई०-317-बी-5 के तहत अधिकारी हैं ।

एस०आर०-317-बी०एन०पी०-9 :—

आवंटन या प्रस्ताव को स्वीकार न करना या स्वीकृति देने के बाद आवंटित आवास का अधिग्रहण करने में असमर्थता (1) यदि कोई कर्मचारी पांच दिन के भीतर आवास के आवंटन को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है या आवंटन का पत्र प्राप्त करने की तारीख से 8 दिन के भीतर उस आवास पर कब्जा करने में असफल रहता है तो वह आवंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए दूसरे आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) यदि कोई कर्मचारी जो निम्न प्रकार के टाइप के आवास में रह रहा है, को उस टाइप के आवास का प्रस्ताव मिलता है या आवंटन होता है जिसके लिए वह एस०आर० 317-बी-5 के तहत पात्र है या जिस के लिए उसने एस०आर० 317-बी-7 के अंतर्गत आवेदन किया है, तो उस आवंटन के प्रस्ताव या उक्त आवंटन के लिए इंकार करने पर निम्नलिखित शर्तों पर पहले आवंटित किए गए आवास में रहने की अनुमति प्राप्त होगी अर्थात् :—

(क) ऐसा कर्मचारी उस आवंटन वर्ष की बाकी अवधि के लिए दूसरे आवंटन के लिए पात्र नही होगा जिसमें उसने आवंटन या उसके प्रस्ताव के लिए इंकार किया है ।

(ख) वर्तमान आवास में बने रहने पर, उनसे वही लाइसेंस शुल्क, जो उसे इस प्रकार आवंटित या प्रस्तावित आवास के सम्बन्ध में एफ०आर० 45-क के अन्तर्गत अदा करना होता या उनके पहले से अधिगृहित आवास के सम्बन्ध में अदा योग्य लाइसेंस शुल्क, जो भी अधिक हो, वसूला जाएगा ।

एस०आर०-317-बी०एन०पी०-10 :—

अवधि जिसके लिए आवंटन बना रहना है तथा और अधिक धारण के लिए रियायती अवधि :—(1) कोई आवंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जब से वह कर्मचारी द्वारा स्वीकृत किया गया है और तब तक प्रभावी रहेगा :—

(क) कर्मचारी की देवास में पात्र कार्यालय में कार्य अवधि समाप्ति के बाद उप नियम (2) के तहत अनुज्ञेय रियायती अवधि के समाप्त हो जाने के बाद ;

(ख) यदि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया गया हो या इन नियमों के तहत किसी प्रावधान के अंतर्गत रद्द हुआ माना जाए ;

(ग) कर्मचारी द्वारा वापिस कर दिया जाए ; या

(घ) कर्मचारी आवास का अधिग्रहण करने से इंकार कर दे ।

(2) किसी कर्मचारी को आवंटित कोई आवास नीचे सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट तथ्यों में से किसी के भी होने पर उसके कालम (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट अवधि के लिए उप नियम (3) के अध्यधीन अवधारित किया जा सकता है । परन्तु यह कि आवास की कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक योग के लिए आवश्यकता है ।

| स्थितियां | आवास को अधिकार में रखने के लिए अनुज्ञेय अवधि |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. त्याग पत्र, सिलम्बन या पदच्युत होना सेवा की समाप्ति या बिना आज्ञा के अनधिकृत अनुपस्थिति | 1 माह |
| 2. सेवानिवृत्ति या समाप्ति छुट्टी | 4 महीने |
| 3. आवंटी की मृत्यु | 12 महीने |
| 4. देवास से बाहर किसी स्थान पर स्थानान्तरण | 2 महीने |
| 5. देवास में अपात्र कार्यालय को स्थानान्तरण | 2 महीने |
| 6. भारत में बाह्य सेवा मे जाने पर | 2 महीने |
| 7. भारत में अस्थायी स्थानान्तरण या भारत से बाहर किसी स्थान पर स्थानान्तरण | 4 महीने |
| 8. अवकाश (सेवानिवृत्ति से पहले का अवकाश, अस्वीकृत अवकाश, समाप्ति अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश या अध्ययन अवकाश के अतिरिक्त अवकाश) | अवकाश की अवधि के लिए किन्तु 4 महीने से अधिक नही । मातृत्व अवकाश के मामले में निरंतरता में प्रदान किया गया अवकाश जो अधिकतम पांच महीने है । |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 9. सेवानिवृत्ति से पहले का अवकाश या एफ०आर०-86 के अंतर्गत प्रदान किया गया अवकाश या सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया अर्जित अवकाश जो एफ०आर० (जे) के अंतर्गत सेवा निवृत्त हुए हों । | सेवा निवृत्ति से पहले अवकाश के मामले में अधिकतम 180 दिन तक की पूर्ण औसत वेतन पर अवकाश की पूर्ण अवधि के लिए तथा सेवा-निवृत्ति के मामले में अनुज्ञेय अवधि को शामिल करते हुए अन्य मामलों में 4 महीने । |
| 10. भारत या उसके बाहर अध्ययन अवकाश | (क) यदि कर्मचारी के पास उसकी अधिकारिता से निम्न श्रेणी का आवास है तो अध्ययन अवधि की सम्पूर्ण अवधि के लिए । |
| | (ख) यदि कर्मचारी के पास उस की अधिकारिता के टाइप के आवास छह महीने से अनाधिक अवधि के लिए, अध्ययन अवकाश की अवधि के लिए अधिग्रहित है परन्तु यह कि जहां अध्ययन अवकाश छह महीने से अधिक हो वहां के अध्ययन अवकाश के आरम्भ होने की तारीख से या छह महीने समाप्त होने के बाद उसकी अधिकारिता से एक टाइप निम्न वैकल्पिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, यदि वह चाहे तो । |
| 11. भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति | प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए किन्तु छह महीने से अधिक नहीं । |
| 12. चिकित्सा आधार पर अवकाश : | अवकाश की पूरी अवधि |
| 13. सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण पर जाने पर | प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि |

स्पष्टीकरण :—

(i) यदि भारत में स्थानान्तरण पर या बाह्य सेवा वाले किसी अधिकारी को छुट्टी स्वीकृत होती है और नए कार्यालय में कार्यभार संभालने से पहले वह उनका लाभ उठाता है तो उन्हें मद संख्या (4), (5), (6) और (7) के सामने उल्लिखित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए आवास को रखने की अनुमति है ।

(ii) यदि भारत में स्थानान्तरण या बाह्य सेवा वाले किसी अधिकारी को अवकाश पर रहते हुए आदेश जारी होते हैं तो स्पष्टीकरण (1) के तहत स्वीकृत अवधि उस आदेश के जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी ।

(iii) जहां कोई आवास उप-नियम (2) के अंतर्गत रखा हुआ है, वहां आवंटन स्वीकार्य रियायती अवधि के समाप्त होने पर रद्द हुआ माना जाएगा जब तक कि अवधि की समाप्ति के तुरन्त बाद कर्मचारी देवास में पात्र कार्यालय में पुनः कार्यभार न संभालें ।

(क) यदि कोई कर्मचारी बिना वेतन और भत्ते के चिकित्सा अवकाश पर है तो वह उप-नियम (2) के नीचे सारणी की मद संख्या (12) के तहत रियायत आधार पर आवास पर अधिकार बनाए रख सकता है बशर्ते कि वह प्रत्येक माह ऐसे आवास के लिए नकद लाइसेंस शुल्क जमा कराएगा और यदि वह दो माह से अधिक की अवधि के लिए ऐसा लाइसेंस शुल्क जमा कराने में असमर्थ रहेगा वहां आवंटन रद्द हो जाएगा ।

(iv) यदि किसी कर्मचारी को उप-नियम दो के नीचे सारणी के मद (1) या मद (2) के तहत रियायत के आधार पर आवास मिला हुआ है तो उक्त सारणी में पुनः नियोजन प्राप्त करने पर वह उस आवास को रखने का अधिकारी होगा तथा वह इन नियमों के अंतर्गत आगे भी किसी आवंटन के लिए पात्र होगा । परन्तु यह कि ऐसे पुनः नियोजन पर यदि वह कर्मचारी की परिलब्धियों के आधार पर उसके द्वारा अधिग्रहीत आवास टाइप का अधिकारी नहीं है तो उसे निम्न प्रकार के टाइप का आवास का आवंटन किया जाएगा ।

(v) उप नियम (2) या उप नियम (3) या उप नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी अगर कोई कर्मचारी सेवा से निलम्बित हो या हटा दिया जाए या उसकी सेवाएं समाप्त

कर दी जाए तो उस कार्यालय से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, जहां से निलम्बन, हटाए जाने या सेवा समाप्ति से पहले वह कर्मचारी कार्यरत था, की संतुष्टि हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक था उचित था वहां वह सक्षम प्राधिकारी से उस कर्मचारी को किए गए आवास के आवंटन को रद्द करने के लिए तत्काल या उप नियम (2) के नीचे मद संख्या (1) में संदर्भित एक महीने की अवधि के समाप्त होने से पहले उस तारीख से जैसा भी वह विनिर्दिष्ट करे, कह सकता है, और सक्षम प्राधिकारी तदनुसार कार्रवाई करेगा ।

11. लाइसेंस शुल्क से संबंधित उपबन्ध.—(1) जब आवास या वैकल्पिक आवास का आवंटन स्वीकार कर लिया जाता है तो लाइसेंस शुल्क के लिए देयता अधिग्रहण की तारीख या आवंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन, जो भी पहले हो, से आरम्भ होगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी आवंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख के 8 दिन के भीतर उस आवास का अधिग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो उस तारीख से 12 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा, परन्तु यह कि यहां निहित कुछ भी लागू नहीं होगा यदि के.लो.नि.वि. यह प्रमाणपत्र देता है कि आवास कब्जे के लिए उपयुक्त नहीं है और उस के परिणामस्वरूप कर्मचारी उक्त अवधि के भीतर आवास का अधिग्रहण नहीं कर सकता।

(3) यदि किसी कर्मचारी को, जिसके अधिग्रहण में पहले से ही कोई आवास है, को किसी अन्य आवास का आवंटन होता है, तो पूर्ववर्ती आवास का आवंटन नए आवास के अधिग्रहण की तारीख से रद्द समझा जाएगा। तथापि वह लाइसेंस शुल्क दिए बिना स्थान परिवर्तन के लिए उस दिन और उसके बाद वाले दिन उसमें रह सकता है ।

एस.आर. 317-बी.एन. पी.-12:

12. आवास के खाली होने तक लाईसेंस शुल्क की अदायगी के लिए कर्मचारी का वैयक्तिक उत्तरदायित्व और अस्थायी कर्मचारी द्वारा जमानत उपलब्ध कराना :—(1) वह कर्मचारी, जिसे आवास आवंटित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा कि उसे आवंटित किया गया आवास केवल आवास या ऐसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया है जिसके लिए वह विशेष रूप से आवंटित किया गया है । वह ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए उस परिसर का प्रयोग न तो खुद करेगा न ही किसी अन्य को करने की अनुमति देगा जो किसी वर्ग या निवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या शान्ति को भंग करे ।

(2) वह कर्मचारी जिसे आवास आवंटित किया गया है उसके लाइसेंस शुल्क के लिए तथा उसमें सामान्य टूट-फूट से परे किसी क्षति या फर्नीचर, उपस्कर फिटिंग में क्षति या उस अवधि के दौरान जिसके लिए उसे वह आवास आवंटित बना हुआ है या इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के तहत आवंटन रद्द हुआ है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में क्षति के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा जब तक कि आउट हाउस उसके आनुषंगिक निर्माण सहित, आवास को खाली कर दिया जाए तथा वह पूर्णतः खाली मकान का स्वामित्व सरकार को वापिस न कर दिया जाए।

(3) यदि किसी ऐसे कर्मचारी को आवास का आवंटन किया जाता है जो न तो स्थायी और न ही अर्ध-सरकारी कर्मचारी है वह उस आवास और सेवाओ के सम्बन्ध में लाइसेंस शुल्क और उसके द्वारा देय अन्य प्रभारों की विधिवत अदायगी के लिए व उसके बदले में उपलब्ध कोई अन्य आवास के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित आवेदन पत्र में एक सुरक्षा बांड एक जमानत के साथ प्रस्तुत करेगा जो बैंक नोट प्रेस में कार्यरत एक स्थायी सरकारी कर्मचारी होना चाहिए ।

4. यदि जमानती की सरकारी सेवा समाप्त हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या अपनी गारंटी वापिस ले लेता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं होता तो वह कर्मचारी ऐसी घटना या तथ्य की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी अन्य जमानती से लिया गया नया बांड प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उन्हें आवास का आवंटन उस घटना की उस तारीख से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्णय लिए जाने तक रद्द समझा जाएगा ।

एस० आर० 317-बी० एन० पी०-13:

13. फर्नीचर और फिटिंग सामान की सूची :—कर्मचारी, जिसे आवास का आवंटन किया गया है,जब वह आवास का अधिग्रहण करता है या उसे खाली करता है के लिए आवास में रखे फर्नीचर और फिटिंग की एक सूची पर हस्ताक्षर करने जरूरी होते हैं ।

एस० आर० 317-बी० एन० पी०-14:

14. किसी आवंटन को वापिस करना तथा उसके नोटिस की अवधि :—(1) कोई कर्मचारी किसी भी समय पूर्व सूचना जो आवास के खाली होने की तारीख से कम से कम दस दिन पहले सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच जाए, देकर आवास को खाली कर सकता है । आवास का आवंटन उस तारीख जिसको वह सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त किया गया है, से ग्यारहवें दिन या पत्र में निर्दिष्ट तारीख, जो भी बाद में हो, रद्द समझा जाएगा ।

2. यदि वह उचित नोटिस देने में असमर्थ रहता है तो वह दस दिन या उतने दिनों, जो उसके नोटिस देने के दिन से 10 दिन से कम रहते हैं, के लिए लाइसेंस फीस की अदायगी के लिए उत्तरदायी होगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी कम अवधि के लिए नोटिस स्वीकार कर सकता है ।

3. यदि कोई कर्मचारी उप नियम (1) के तहत आवास वापिस कर देता है तो उस समर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आवास के उसके आवंटन पर दुबारा विचार नहीं किया जाएगा ।

एस० आर० 317-बी० एन० पी० -15 :

15. आवास का परिवर्तन :—(1) कोई कर्मकारी, जिसे इन नियमों के अन्तर्गत आवास आवंटित किया गया है, उस टाइप के दूसरे आवास या उस टाइप के आवास के लिए जिसके लिए वह एस०आर० 317-बी-5 के तहत पात्र है, जो भी निम्न हो, आवेदन कर सकता है । कर्मचारी को आवंटित एक प्रकार के आवास के संबंध में एक से अधिक परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

2. परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में दिए गए तथा कैलेंडर माह की 19वी तारीख तक प्राप्त सभी आवेदन अगले महीने की प्रतीक्षा सूची में शामिल कर लिए जाएंगे । इस नियम के प्रयोजन के लिए जिन कर्मचारियों के नाम पहले महीने की प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए हैं, वे सामूहिक रूप से उनके वरिष्ठ होंगे जिनके नाम बाद के महीनों की सूची में शामिल किए गए हैं, किसी विशेष महीने की सूची में शामिल कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी पूर्विकता तारीखो के अनुक्रम में निर्धारित की जाएगी।

3. परिवर्तन वरिष्ठता के क्रम में दिए जाएंगे जो उप नियम (2) और जहां तक संभव हो कर्मचारी की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

4. यदि कोई कर्मचारी ऐसे प्रस्ताव या आवंटन के जारी होने के पांच दिन के भीतर उस प्रस्तावित परिवर्तन के स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो उस टाइप के आवंटन में परिवर्तन के लिए उस पर दुबारा विचार नहीं किया जाएगा ।

5. आवास के परिवर्तन को स्वीकार करने के बाद यदि कोई कर्मचारी उसका अधिग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो उससे पहले से ही उनके अधिकार में आवास जिसका आवंटन जारी रहेगा, के लिए एफ० आर० 45-क के तहत सामान्य लाइसेंस फीस के अतिरिक्त उप नियम (1) के एस० आर० 317-बी-9 के प्रावधान के अनुसार उस आवास के लिए लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी ।

एस० आर० 317-बी० एन० पी०-16 :

16. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर आवास में परिवर्तन :—एस० आर० 317-बी-15 में निहित किसी बात के होते हुए किसी भी कर्मचारी को, उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर आवास का परिवर्तन करने की अनुमति देगा यदि वह ऐसी घटना के तीन महीने के भीतर परिवर्तन के लिए आवेदन करता है, परन्तु यह कि परिवर्तन आवास के उसी शहर में और उसी तल पर दिया जाएगा जो कि कर्मचारी को पहले ही आवंटित हो चुका है ।

एस० आर० 317-बी० एन० पी० 17 :

17. आवास का पारस्परिक अदला-बली :—वे कर्मचारी जिन्हें इन नियमों के तहत समान टाइप के आवास आवंटित किए गए हैं, अपने आवासों की पारस्परिक अदला-बदलो को अनुमति देने के लिए आवेदन कर सकते हैं । आपसी अदला-बदली की अनुमति प्रदान की जा सकती है यदि दोनों कर्मचारियों के समुचित रूप से देवास में कार्य पर उपस्थित होने तथा ऐसे परिवर्तन की अनुमति की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए पारस्परिक तौर पर अदला-बदली वाले आवास में रहने की संभावना हो ।

एस० आर० 317-बी-बी० एन० पी० 18 :

18. आवास का रख-रखाव :—(क) वह कर्मचारी जिसे आवास आवंटित्त किया किया गया है, वह आवास और परिसर को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा बैंक नोट प्रेस की संतुष्टि अनुसार स्वच्छ स्थिति में रखेगा । वह कर्मचारी सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के विरुद्ध कोई पेड़, झाड़ी या पौधा नहीं उगाएगा न ही सक्षम प्राधिकारी या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को लिखित में पूर्व अनुमति के सिवाय बाग, आंगन या चार दीवारी में मौजूदा पेड़ या झाड़ी को न तो काटेगा न ही उनको काट-छांट करेगा ।

इस नियम के उल्लंघन में लगाए गए पेड़ लगाना या वनस्पति संबंधित कर्मचारी के जोखिम और लागत पर सक्षम प्राधिकारी या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाए जाएंगे ।

(ख) कोई पशु, भेड़, बकरी, सुअर या अन्य कोई जानवर जिनसे आवसों और परिसर की सफाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से पड़ोसी आवासों में रहने वालों के लिए परेशानी का कारण बनने की संभावना हो, आवासों और परिसरों के भीतर नहीं पाला जाएगा ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बिजली और पानी के सकिट और जल मल निकासी व्यवस्था सहित सरकारी फिटिंग और उपस्करों में आवंटो के द्वारा कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा ।

एस० आर० 317-बी-बी०एन०पी :

19. आवासों को किराए पर देना और उसमें भागदारी करना :—(1) कोई भी कर्मचारी इन नियमों के तहत आवासों के आवंटन के लिए पात्र बैंक नोट प्रेस में कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त उसे आवंटित आवास या आउट हाउस, गैरीज, साज-समान की किसी के साथ भागीदारी नहीं करेगा ।

आबंटी के नौकरों के आवास सहित सर्वेन्ट क्वाटरों, आउट हाउसों, गैराजों आदि को केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ऐसे ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है ।

6. कोई भी कर्मचारी अपना पूरा आवास किराए पर नहीं देगा :—परन्तु यह कि अवकाश पर जाने वाला कोई

कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से एस०आर 317-बी 8(2) में निर्दिष्ट अवधि के लिए केयर टेकर के रूप में सरकार आवास में भागीदारी करने के लिए पात्र किसी अन्य कर्मचारी को आवास में रख सकता है लेकिन वह अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. कोई कर्मचारी जो अपने आवास में हिस्सेदारी करता है या उसे किराए पर देता है तो वह ऐसा अपने स्वयं के जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और आवास के संबंध में देय लाइसेंस फीस और आवास को या उसके अहाते या मैदान या सरकार द्वारा उसमें उपलब्ध कराई गई सेवाओं में टूट-फूट से परे होने वाली हानि के संबंध वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा ।

एस० आर० 317-बी० एन० पी० -20 :

20. नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने का परिणाम यदि कोई कर्मचारी, जिसे आवास का आवंटन किया गया है, अनाधिकृत रूप से आवास को किराए पर देता है या भागीदारी से उस दर पर लाइसेंस फीस वसूल करता है जिसे सक्षम प्राधिकारी अधिक समझता है या आवास के किसी भाग में अनाधिकृत ढांचा खड़ा करता है या आवास या उसके किसी भाग को उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है जिसके लिए वह आशायित है या बिजली या पानी के कनैक्शन में हेर-फेर करता है या इस प्रभाग के नियमों या आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करता है या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए आवास या परिसर का प्रयोग करता है या अनुमति देता है या आवास परिसर को इस्तेमाल करने देता है, जिसे सक्षम अनुमति देता है या आवास परिसर को इस्तेमाल करने देता है, जिसे सक्षम प्राधिकारी अनुचित समझे या स्वयं ऐसा व्यवहार करता है जो उसकी राय में उसके पड़ोसियों के साथ सद भावपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिकूल है या आवंटन को हासिल करने के लिए किसी आवेदन या लिखित विवरण में जानबूझ कर गलत जानकारी देता है तो सक्षम प्राधिकारी उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके आवास का आवंटन रद्द कर सकता है ।

स्पष्टीकरण :

(1) इस उप-नियम में "कर्मचारी" अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके परिवार का कोई सदस्य और कर्मचारी के जरिए दावा करने वाला कोई व्यक्ति शामिल है।

(2) यदि कोई कर्मचारी उसे आवंटित कोई आवास या उसका कोई भाग, या कोई आउट हाउस, गैराज उसके आनुषंगिक निर्माण को, इन नियमों का उल्लंघन करके किराए पर देता है, तो उससे उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एफ. आर 45-क के तहत मानक लाइसेंस शुल्क से बढ़ा हुआ लाइसेंस शुल्क, जो चार गुने से अधिक नहीं होगा, वसूला जा सकता है। वसूली जाने वाली लाइसेंस शुल्क की मात्रा तथा यह अवधि जिसके लिये वह वसूली जानी है, प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण आधार पर निर्णय लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त, कर्मचारी को भविष्य में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाये आवास में भागीदारी करने से रोका जा सकता है ।

(3) जहां आवंटी द्वारा परिसर को अनधिकृत रूप से किराये पर देने के कारण आवंटन को रद्द करने का निर्णय लिया गया है तो आवंटी और उसमें उसके साथ रहने वाले अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिये साठ दिन की अवधि प्रदान की जायेगी। आवंटन, परिसर के खाली होने की तारीख से या आवंटन के रद्द होने के आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के समाप्त होने की तारीख से, जो भी पहले हो, रद्द माना जायेगा।

(4) जहां पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध के बनाने के प्रतिकूल आचरण के कारण आवास रद्द किया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर कर्मचारी को किसी अन्य स्थान पर उस श्रेणी में कोई अन्य आवास आवंटित किया जा सकता है।

(5) सक्षम प्राधिकारी इस नियम के उप-नियम (1) से (4) के तहत सभी या उसमें से कोई भी कार्यवाही करने में और उस कर्मचारी को, जो नियमों और अनुदेशों का उल्लंघन करता है, उसे आवासीय स्थान के आवंटन के लिये कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये अपात्र घोषित करने में सक्षम है।

(6) जहां उप महा प्रबन्धक या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस नियम के तहत कोई दण्ड लगाया गया हो वह प्रभावित व्यक्ति दण्ड के आदेशों की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर महा प्रबन्धक को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है :

परन्तु यह कि यदि दण्ड महा प्रबन्धक द्वारा लगाया गया है तो अपील केन्द्रीय सरकार के पास दायर की जायेगी ।

एस.आर. 317-बी.एन.पी-2 आवंटन के रद्द होने के बाद भी आवास में रहना :—अगर, इन नियमों में निहित किसी भी उपबन्ध के तहत कोई आबंटन रद्द हो जाता है, या रद्द माना जाता है, तब भी यदि वह कर्मचारी जिसे यह आबंटित किया गया था या कोई व्यक्ति जिसने उसके जरिये घर प्राप्त किया है, के कब्जे में आवास है या रहा है, तो वह कर्मचारी आवास, सेवाओं, फर्नीचर और बाग के प्रयोग और अधिग्रहण के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित बाजार लाइसेंस शुल्क के बराबर प्रभार या उसके द्वारा अदा की जाने वाली लाइसेंस शुल्क का दुगुना, जो भी अधिक हो, की क्षतिपूर्ण अदा करने का उत्तरदायी होगा, परन्तु

कोई कर्मचारी, जो एफ. आर.–45-क के तहत लाइसेंस शुल्क अदा कर रहा था, को विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एफ. आर. 45–क के अन्तर्गत दुगुने मानक लाइसेंस शुल्क या एफ. आर. 45–क के तहत सामूहिक मानक लाइसेंस शुल्क के दुगुने, जो भी अधिक हो, के भुगतान पर एस.आर. 317–बी–10(2) के तहत स्वीकृत अवधि के बाद कम से कम छह महीने तक आवास को रख सकता है किन्तु यह राशि कर्मचारी द्वारा अंतिम बार प्राप्त की गई परिलब्धियों (जैसा कि एफ. आर 45–क के तहत परिभाषित किया गया है) के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। ऐसे कर्मचारी से उस आवास और सेवा के संबंध में उससे प्राप्य लाइसेंस शुल्क और अन्य प्रभारों के लिये बी. एन पी. में कार्यरत एक स्थायी सरकारी कर्मचारी से एक जमानती के साथ बी.एन.पी. को इस संबंध में एक प्रतिभूति बांड प्रस्तुत करेगा। ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो एफ. आर. 45–क के तहत लाइसेंस शुल्क अदा नहीं कर रहा था, तो उसे एफ. आर. 45–क के तहत दुगुना मानक लाइसेंस शुल्क या एफ.आर. 45–क के तहत दुगुना सामूहिक मानक लाइसेंस शुल्क या उस लाइसेंस शुल्क जो वह अदा कर रहा था से दुगुना लाइसेंस शुल्क जो भी अधिकतम हो, के भुगतान करने पर उसी अवधि के लिये आवास को रखने की अनुमति दी जा सकती है

एस.आर. 317–बी.एन.पी. 22 :–इन नियमों को जारी करने से पहले किये गये आबंटनों को जारी रखना : किसी आवास का आबंटन जो इन नियमों के लागू होने से तत्काल पूर्व किया गया था, इन बातों के अतिरिक्त, इन नियमों के तहत किया गया गया आबंटन माना जायेगा कि जिस कर्मचारी को यह किया गया है वह एस. आर. 317–बी–5 के तहत उस टाइप के आवास के लिये प्राधिकृत है तथा इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती प्रावधान तदनुसार उस आबंटन और कर्मचारी के संबंध में लागू होंगे।

एस.आर. 317–बी.एन.पी. 23:–नियमों की व्याख्या यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

एस.आर. 317–बी.एन.पी. 24 - नियमों में छूट :– केन्द्र सरकार, ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित में दर्ज किया जायेगा, किसी कर्मचारी या आवास या कर्मचारियों की श्रेणी या आवासों के टाइप के मामले में इन नियमों के सभी या किसी उपबन्ध में छूट दे सकती है।

एस.आर. 317–बी.एन.पी. 25 : सामान्य धारा :— सरकारी आवास (दिल्ली में केन्द्रीय पूल) नियम, 1963 के आबंटन के संदर्भ में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश नियमों में आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

एस.आर. 317–बी.एन.पी. 26 : शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन :—केन्द्रीय सरकार, इन नियमों द्वारा प्रदत्त की गई अपनी कोई या सभी शक्तियों के सम्पदा अधिकारी, बैंक नोट प्रैस, देवास या उसके नियंत्रण में किसी अन्य अधिकारी को उन शर्तों जिन्हें वह लागू करना उचित समझे, के अध्यधीन सौंप सकती है।

[एफ. सं. 3/22/75–बी.एन.पी.]

वी.के. वेलुकुट्टी, उप प्रबन्धक (मुद्रा एवं सिक्का)

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th December, 1997

G.S.R. 4.—In pursuance of the provisions of Rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules governing allotment of residences to the employees of Bank Note Press, Dewas, namely :—

Division.—Allotment of residences under administrative control of the General Manager, Bank Note Press, Dewas to the employees in the Press or employed in other Departments of the Central Government or State Government and working for the Press.

SR. 317-BNP1—Short title. commencement and application.—(1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (Bank Note Press, Dewas) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the allotment of residence in the Bank Note Press Colony, Dewas.

SR. 317-BNP-2—Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) 'Allotment' means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules ;

(b) 'Allotment year' means, the year beginning on 1st January or such other period as may be notified by the Central Government ;

(c) 'Press' means the Bank Note Press, Dewas ;

(d) 'Competent Authority' means the General Manager and includes Deputy General Manager or Chief Administrative Officer of Bank Note Press, Dewas :

(e) 'Eligible Office' means the Bank Note Press Dewas or other departments of the Central Government or State Government in relation to only such employees who are stationed at Dewas and are working in the Bank Note Press, Dewas ;

(f) 'Emoluments' means the pay as defined in Fundamental Rule-9(21)(a)(1) ;

Explanation.—In the case of an employee who is under suspension the emoluments drawn by him on the 1st day of the allotment year in which he is placed under suspension or if he is placed under suspension on the 1st day of the allotment year the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken, as his emoluments;

(g) 'Family' means, the wife or husband, as the case may be and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependant on the employee ;

(h) 'Government' means, the Central Government unless the context otherwise requires ;

(i) 'Licence fee' means, the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules;

(j) 'Priority date' of an employee in relation to a type of residence to which he is eligible under SR. 317-B-5 means the earliest date from which he has been continuously in service and drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government, State Government or on foreign service except for periods of leave:

Provided that where the priority date of two or more employees is the same, seniority among them shall be determined by the emoluments; the employees in receipt of higher emoluments taking precedence over the employee in receipt of lower emoluments; where the emoluments are equal by the length of service and where both the emoluments and the length of service are equal on the basis of the scale of pay of the employee, the officer working in a post having higher scale of pay taking precedence over the officer in respect of lower scale of pay and where all the conditions are same the seniority will be determined according to the date of birth and where the date of birth is also the same, seniority will be determined as per the alphabetical order of names of the employee;

(k) 'Residence' means, any residence for the time being under the administrative control of the Competent Authority;

(l) 'Sub-letting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person;

Explanation.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting;

(m) 'Temporary Transfer' means a transfer which involves an absence for a period of not exceeding four months;

(n) 'Transfer' means, transfer outside the Bank Note Press, Dewas or from work relating to or connected with the Bank Note Press;

(o) 'Type' in relation to an employee means the type of residence to which he is eligible under SR 317-B-5.

SR. 317-BNP-3.—Allotment to house owning employees:—

1. In this rule,—

(a) "adjoining municipality" means any municipality contiguous to a local municipality;

(b) 'house' in relation to an employee or member of his family means a building or part there of used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality (or of any adjoining municipality);

Explanation.—A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purpose of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes;

(c) 'Local municipality' in relation to an employee means the municipality within whose jurisdiction his office is located;

(d) 'member of family' in relation to an employee means the wife or husband, as the case may be or a dependant child of the employee;

(e) 'municipality' includes a Municipal Corporation, a Municipal Committee or Board, a Town Area Committee, a Notified Area Committee and a Cantonment Board.

2. An employee owning a house either in his own name or in the name of any member of his family at the place of his duty or in an adjoining municipality shall be eligible for allotment of Government residence on payment of licence fee for the Government accommodation allotted to him at such rate as may be determined from time to time by the Government

3. When after a Government residence has been allotted to an employee, he or any member of his family becomes owner of a house at the place of his duty (or in an adjoining municipality), such employee shall notify the fact to the Competent Authority within a period of one month from the date the residence is let out or occupied, or the date of completion, whichever is earlier.

SR 317-BNP-4.—Allotment to husband and wife, eligibility in case of employment who are married to each other.—(1) No employee shall be allotted a residence under these rules, if the wife or the husband, as the case may be of the said employee, has already been allotted a residence unless such residence is surrendered.

(2) Provided that this sub-rule, shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(3) Where two employees in occupation of separate residence allotted under these rules marry each other, they shall within one month of their marriage, surrender one of the residences.

(4) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period of one month and if the residences are of the same type the allotment of such one of them, as the Competent Authority may decide shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the said period.

(5) Where both husband and wife are employed in an eligible Office, the title of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

SR 317-BNP-5.—Classification of residences.—An employee will be eligible for allotment of a residence of the type appropriate to his emoluments shown in the Table below:

TABLE

| Type of Residence | Emoluments of the Employees | Remarks |
|---|---|---|
| Type-I/A | Upto Rs. 949/- | |
| Type-II | Rs. 950/- to Rs. 1499/- | |
| Type-III/C | Rs. 1500/- to Rs. 2799/- | |
| Type-IV/D | Rs. 2800/- to Rs. 3599/- | |
| Type-V/E | Rs. 3600/- and above | One quarter each in this type is earmarked for Deputy General Manager, Chief Chemist, Chief Engineer, Works Manager, Manager [(Control), Financial Adviser & [Chief Accounts Officer and Chief Medical Officer (in-charge of the Bank Note Press Hospital). |
| Type-VI | | Earmarked for Beneral Manager. |

SR. 317-BNP-6.—Application for allotment.—(i) An employee in occupation of Government accommodation on becoming eligible for a residence of higher type, shall submit his application in such form and manner and by such date as may be specified by the Competent Authority in this behalf.

(ii) In the case of employees not in occupation of Government accommodation, the Competent Authority shall invite application in such form and manner and by such date as may be specified by him.

(iii) In respect of newly appointed employees or those coming on transfer/deputation shall submit his application to the Competent Authority and the applications received on or before 20th day of calendar month shall be considered for the purpose of allotment subject to their eligibility for such allotment and availability of vacant residences.

SR. 317-BNP-7.—Allotment of residences.—(i) Save as otherwise provided in these rules, a residence falling vacant, will be allotted by the Competent Authority preferably to an applicant desiring a change of accommodation, in that type, under the provision of SR. 317B-14 and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions :

(a) The Competent Authority shall not compel an applicant to accept a residence of a lower type than that to what he is eligible under SR 317-B-5.

(b) The Competent Authority, on request from an applicant for allotment of a lower category residence, might allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under SR 317-B-5 on the basis of his priority date for the same.

(ii) The Competent Authority may cancel the existing allotment of an employee and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances, an alterntaive residence of the type next below the type of residence in occupation of the employee, if the residence in occupation of the employee is required to be vacated.

(iii) A vacant residence may, in addition to allotment to an employee under sub-rules (i) and (ii) be offered simultaneously to other eligible employees in order of their priority date.

SR. 317-BNP-8.—Allotment on priority.—Notwithstanding anything contained in these rules allotment of quarters may be made by the Competent Authority on priority basis to the following categories of employees, viz. :

(1) Female employees of the Hospital,

(2) Tenure officers (transferees/deputationists),

(3) Certain categories of employees whose stay is essentially required for the smooth running of the organisation. Such officers shall be entitled to allotment of accommodation in the next below the type to which they are entitled under the provisions of SR 317-B-5.

SR. 317-BNP-9.—Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.—(1) If an employee fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of the allotment letter.

(2) If an employee, occupying a lower type residence, is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under SR 317-B-5 or for which he has applied under SR 317-B-7, he may, on refusal of the said alltoment or offer of allotment be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely :—

(a) that such an employee shall not be eligible for another allotment for the remaining period of allotment year in which he has declined the allotment or offer.

(b) that while retaining the existing residence, he shall be charged the same licence fee, which he would have to pay under FR 45-A in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher.

SR. 317-BNP-10.—Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.—(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the employee and shall continue inforce until :—

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2), after the employee ceases to be on duty in an eligible office in Dewas ;

(b) it is cancelled by the Competent Authority or is deemed to have been cancelled under any of the provisions under these rules ;

(c) it is surrendered by the employee ; or

(d) the employee ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an employee may subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in Column (1) of the Table below for the period specified in the corresponding entry in Column (2) thereof provided that the residence is required for the bonafide use of the employee or members of his family.

| Events | Permissible period for retention of the residence |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Residence, dismissal, removal or termination of of service or unauthorised absence without permission | 1 month |
| 2. Retirement or terminal leave | 4 months |
| 3. Death of allottee | 12 months |
| 4. Transfer to a place outside Dewas | 2 months |
| 5. Transfer to an ineligible office in Dewas | 2 months |
| 6. On proceeding on Foreign Service in India | 2 months |
| 7. Temporary transfer in India or transfer to a place outside India. | 4 months |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 8. Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave, maternity leave or study leave) | For the period of leave but not exceeding 4 months. In the case of maternity leave for the period of leave granted in continuation subject to a maximum of five months. |
| 9. Leave preparatory to retirement or refused leave granted under FR. 86 or Earned Leave granted to Government Servant who retired under FR-56(J). | For the full period of the leave on full average pay subject to a maximum of 180 days in the case of leave preparatory to retirement and 4 months in other cases inclusive of the period permissible in the case of retirement. |
| 10. Study Leave in or outside India. | (a) In case of the employees is in occupation of accommodation below his entitlement for the entire period of Study Leave.<br>(b) In case the employee is in occupation of his entitled type of accommodation for the period of Study Leave but not exceeding six months, provided that where the Study Leave extends beyond six months he may be allotted alternative accommodation one type below his entitlement, on the expiry of six months or from the date of commencement of the Study Leave, if he so desires. |
| 11. Deputation outside India | For the period of deputation, but not exceeding 6 months. |
| 12. Leave on medical grounds | Full period of leave. |
| 13. On proceeding on training sonsored by the Government. | For full period of training. |

EXPLANATION :

I. Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the reference for the period mentioned against items (4), (5), (6) & (7) or for the period of leave whichever is more.

II. Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an Officer while he is already on leave, the period permissible under Explanation (I) shall count from the date of issue of such order.

III. Where a residence is retained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional period unless immediately on the expiry thereof, the employee resumes duty in an eligible office in Dewas.

(A) Where an employee is on medical leave without pay and allowance he may retain his residence by virtue of the concession under Item (12) of the table below Sub-Rule (2) provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months the allotment shall stand cancelled.

IV. An employee who has retained the residence by virtue of the concession under Item (1) or Item (2) of the Table below Sub-Rule (2) shall, an re-employment in a said table, be entitled to retain that residence and he shall also be, eligible for any further allotment of residence under these rules.

Provided that if the emoluments of the employee on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him he shall be allotted a lower type of residence.

V. Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or Sub-Rule (3) or Sub-Rule (4) when an employee is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the Office in which such employee was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may require the Competent Authority to cancel the allotment of the residence made to such date prior to the expiry of the period of one month referred to in Item (1) of the table below Sub-Rule (2) as he may specify and the Competent Authority shall be act accordingly.

SR. 317-BNP-11.—Provisions relating to licence fee.—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.

(2) An employee who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of 12 days, provided that nothing contained herein shall apply where the C.P.W.D. certifies that the accommodation is not fit for occupation and as a result thereof the employee does not occupy the accommodation within the period aforesaid.

(3) Where an employee, who is in occupation of a residence is alloted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

SR. 317-BNP-12.—Personal liability of the employee for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary employee.—(1) The employee to whom a residence has been alloted shall be personally liable to ensure that the accommodation alloted to him|her is used only for residence or such other purposes for which it is specifically alloted. He shall neither himself use or permit others to use the premises for carrying out any unlawful activities as may disturb the peace or hurt the feelings of any section or the residents.

(2) The employee to whom a residence has been alloted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond normal wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by the Government during the period for which the residence has been and remains alloted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions of these rules, until the residence alongwith the out houses appurtenant thereto have been vacated an full vacant possession thereof has been restored to the Government.

(3) Where the employee to whom a residence has been alloted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government Servant, he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Central Government with a surety who shall be a permanent Government Servant serving in Bank Note Press for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu thereof.

(4) If the surety ceases to be in Government service or become insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reason, the employee shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such events or fact and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall unless otherwise decided by the Competent Authority be deemed to have been cancelled with effect from that date of that event.

SR. 317-BNP-13.—Inventory of furniture and fittings.—The employee to whom a residence has been alloted shall be required when he occupies or vacates the residence, to sign an inventory, of the furniture and the fittings in the residence.

SR. 317-BNP-14.—Surrender or an allotment and period of notice.—(1) An employee may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Competent Authority at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the date on which the letter is received by the Competent Authority or the date specified in the letter, whichever is later.

(2) If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of 10 days, provided that the Competent Authority may accept a notice for a shorter period.

(3) An employee, who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of accommodation for a period of one year from the date of such surrender.

SR. 317-BNP-15.—Change of residence.—(1) An employee to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under SR 317-B-5, whichever is lower. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence alloted to the employee.

(2) All application for change made in the form prescribed by the Competent Authority and received upto the 19th day of calendar month shall be included in the waiting list in the succeeding month. For purposes of this rule the employees whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior en-block to those whose names are included in the list in subsequent months, the inter-se-seniority of the employees included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Changes shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the employees preferences as far as possible.

(4) If an employee fails to accept the change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment he shall not be considered again for a change of allotment of that type.

(5) An employee who after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of Sub-Rule (1) of SR-317-B-9 in addition to the normal licence fee under FR 45-A for a residence already in his possession, the allotment of which shall continue to exist.

SR. 317-BNP-16.—Change of residence in the event of death of a member of the family.—Notwithstanding anything contained in SR 317-B-15 an employee may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change will be given in the same type of residence and on the same floor as the residence already alloted to the employee.

SR. 317-BNP-17.—Mutual exchange of residence.—Employees to whom residence of the same type have been alloted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutually exchange may be granted if both the employees are reasonably expected to be on duty in Dewas and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

SR. 317-BNP-18.—Maintenance of residence.—(a) The employee to whom a residence has been alloted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Central Public Works Department and the Bank Note Press. Such employee shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or Central Public Works Department, not cut or lop off any existing tree or shrubs in any garden, courtyard or compound attached to the residence, save with the prior permission in writing of the Competent Authority or the Central Public Works Department.

Trees plantation or vegetation grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Competent Authority or the C.P.W.D. at the risk and cost of the employee concerned.

(b) No cattle, sheep, goats, pigs or other animals likely to produce an adverse effect on the sanitation of residences and premises or to cause annoyance to occupants of neighbouring residences are to be kept within the residences and premises.

(c) No alterations will be made by the allottee to the Government fittings and fixtures including electric and water circuits and drainage system without the permission of the Competent Authority.

SR. 317-BNP-19.—Subletting and sharing of residences.—(1) No employee shall share the residence alloted to him or any of the out-houses, garages appurtenant thereto except with the employees working in the Bank Note Press eligible for allotment of residences under these rules.

The servants quarters, out-houses, garages etc. may be used only for the bonafide purposes including the residence of the servants of the allottee or for such other purpose as may be permitted by the Competent Authority.

(2) No employee shall sublet the whole of his residence:

Provided that an employee proceeding on leave may accommodate in the residence any other employee eligible to share Government accommodation as a caretaker for the period specified in SR 317-B-8(2) but not exceeding six months with permission of Competent Authority.

(3) Any employee who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear.

SR. 317-BNP-20.—Consequences of breath of rules and conditions.—If an employee to whom the residence has been alloted unauthorisedly sublets the residence or charges licence fee from the sharer at a rate which the Competent Authority considers excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purpose other than for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules in this Division or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purposes which the Competent Authority considers to be improper or conducts himself in a manner which, in his opinion, is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing allotment, the Competent Authority may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

EXPLANATION :

(1) In this sub-rule the expression 'Employee' includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the employee.

(2) If an employee sub-lets a residence alloted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under F. R. 45-A. The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the Competent Authority on merits. In addition the employee may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Competent Authority.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee and any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the order for the cancellation of the allotment whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the employee at the discretion of the Competent Authority may be alloted another residence in the same class at any other place.

(5) The Competent Authority shall be competent to take all or any of the action under Sub-Rule (1) to (4) of this rule and also to declare the employee, who commits a breach of the rules and instructions, issued to him to be ineligible for allotment of residental accommodation for a period not exceeding five years.

(6) Where any penalty under this rule is imposed by Deputy General Manager or Chief Administrative Officer, the aggrieved person, may within sixty days of the receipt of the orders of the penalty file a representation to the General Manager :

Provided if the penalty is imposed by General Manager, then the appeal will lie with the Central Government.

Sr. 317-BNP-21 :—Overstayal in Residence after Cancellation of Allotment :—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provisions contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the employee to whom it was alloted or of any person obtaining through him, such employee shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services furniture and garden charges equal to the market licence fee as may be determined by Government from time to time, or twice the licence fee he was paying, whichever is higher ; provided that an employee who was paying licence fee under FR 45-A may, in special cases, be allowed by he Competent Authority to retain a residence for a period not exceeding six months beyond the period permitted under SR 317-B-10(2) on payment of twice the standard licence fee under FR 45-A or twice the pooled standard licence fee under FR 45-A whichever is higher but not exceeding 30% of the emoluments (as defined under FR 45-C) last drawn by the employee. Such employees will be required to execute a security bond in the form prescribed in the form prescribed in this behalf by BNP with a surety who shall be a permanent Government Servant serving in BNP for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and service. In the case of an employee who was not paying licence fee under FR 45-A, he may be allowed to retain a residence for the same period on payment of twice the standard licence fee under FR 45-A or twice the pooled standard licence fee under FR 45-A or twice the licence fee that he was paying, whichever is highest.

SR. 317-BNP-22 :—Continuance of Allotment made prior to the issue of these Rules :—Any allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the employee to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under SR 317-B-5 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that employee accordingly.

SR. 317-BNP-23 :—Interpretation of Rules :—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Central Government.

SR. 317-BNP-24 :—Relaxation of Rules :—The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules in the case of an employee or residence or class of employees or types of residences.

SR. 317-BNP-25 :—General Clause :—Orders issued by the Government of India from time to time with reference to Allotment of Government residence (Central Pool in Delhi) Rules, 1963 shall be applicable to the rules mutatis-mutandis.

SR. 317-BNP-26 :—Delegation of Powers and Functions :—The Central Government may delegate any or all the powers conferred upon it by these rules to the Estate Officer, Bank Note Press, Dewas or any other Officer under its control, subject to such conditions as it may deems fit to impose.

[F. No. 3/22/75-BNP]

V. K. VELUKUTTY, *Dy. Manager (C. & C.)*.

---

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि.—5राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग मंत्रालय, विस्फोटक विभाग, समूह "क" पद भर्ती नियम, 1997 का संशोधन करने हेतु के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग मंत्रालय, विस्फोटक विभाग, समूह "क" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 के उपनियम (2) के खंड (2) को छोड़कर जो कि 16 जुलाई, 1997, से लागू माना जायेगा।

3. उद्योग मंत्रालय, विस्फोटक विभाग, समूह "क" पद भर्ती नियम, 1997, में, उक्त नियमों पर उपाबद्ध अनुसूची में, —

(i) क्रम सं. 1 में आने वाला मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पद के सामने स्तंभ 13 में, "समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति" शब्द और अक्षर के पश्चात् "प्रोन्नति के लिये" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पद के सामने;

(क) * * * *

(ख) * * * *

(iii) * * * *

(2) विस्फोटक नियंत्रक के पद के सामने स्तंभ 1 के नीचे "1" के स्थान पर "4" रखा जायेगा।

स्पष्टीकरण ज्ञापन चूंकि मुख्य नियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात् 16 जुलाई, 1997 से लागू हुए थे।

लेकिन पदों की संख्या में मुद्रण की गलती के फलस्वरूप संशोधन अपेक्षित था। इस अधिसूचना के विशिष्ट खंड के पूर्व प्रभावी होने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ रहा है।

[फा.सं. 1/31/95-विस्फोटक]

पुष्पेंद्र राय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 390(अ) तारीख 15 जुलाई, 1997 द्वारा जारी की गई थी और भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 16 जुलाई, 1997 द्वारा प्रकाशित किये गये।

पाद टिप्पण : हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th December, 1997

G.S.R. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Industry, Department of Explosives, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 1997 namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Industry, Department of Explosives, Group 'A' Recruitment (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of then publication in the Official Gazette except clause (b) of sub-rule (ii) of rule 2, which shall be deemed to have come into force from the 16th day of July, 1997.

2. In the Ministry of Industry, Department of Explosives, Group 'A' posts Recruitment Rules, 1997, in the Schedule annexed to the said rules,—

(i) against the post of Chief Controller of Explosives appearing at Serial No. 1, in Column 13, after the words and letter, "Group 'A' Departmental Promotion Committee", the brackets and the words" (for promotion)" shall be inserted ;

(ii) against the post of Joint Chief Controller of Explosives.—

(a) under column 1, for the figure "1", the figure "2" shall be substituted,

(b) under column 2, for the figure "1", the figure "7" shall be inserted;

(iii) against the post of Deputy Chief Controller of Explosives appearing at serial No. 3, under column 12, in the Note relating to the Transfer on deputation including short term contract, for the words "Autonomous Organisatiaon" the words "Autonomous or Statutory Organisation" shall be substituted;

(iv) against the post of Controller of Explosives appearing at serial No. 4, under column 8, under the heading Desirable, in item (i), for the words "Chemistry Engineering", the words "Chemical Engineering" shall be substituted.

Explanatory Memorandum :—Since the principal rules were brought into force from the date of its publication in the Official Gazette i.e. the 16th day of July, 1997 but due to printing error in the number of post, the amendment was required. By retrospect effect to a particular clause of this Notification no body is being adversely affected.

[F. No. 1|31|95-EXPL.]

PUSHPENDRA RAI, Jt. Secy.

Foot note : The principal rules were issued vide No. GSR|390(E), dated the 15th July, 1997 and published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 16th July, 1997.

---

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि. 6.— जबकि सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 (1961 का 26) जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 5 उप धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने निम्नांकित व्यक्तियों को सालारजंग संग्रहालय बोर्ड के सदस्यों के रूप में सरकारी राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए नामित किया है।

| सगतधारा /उपबन्ध अध्यक्ष | नामित |
|---|---|
| 5.1 (क) आंध्र प्रदेश के राज्यपाल , हैदराबाद । | आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, हैदराबाद । |
| पदेन सदस्य | |
| 5.1 (ख) संबंधित मंत्रालय में सालारजंग संग्रहालय से संबंधित मामलों को देख रहा भारत सरकार का प्रतिनिधि जो कम से कम उप सचिव के स्तर का हो । | सचिव, भारत सरकार संस्कृति विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली । |
| 5.1(ग) हैदराबाद निगम का मेयर | चूंकि मेयर का पद रिक्त है नियमित मेयर की नियुक्ति होने तक, मेयर का कर्तव्य निर्वहन करने वाला अधिकारी । |
| .1 (घ) उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति | (प्रो. वी. रामकिस्तय्या) कुलपति उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500007 |
| 5.1 (ङ) महालेखाकार, आंध्र प्रदेश | (श्रीमती वेद कुमारी) महालेखाकार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद |
| सदस्य | |
| 5.1 (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो स्व. नवाब सालारजंग III के परिवार से होगा । | हैदराबाद के नवाब अहर्यराम अली खान |
| 5.1(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिन्हें संग्रहालयों एव पुस्तकालयों का ज्ञान और अनुभव हो ; | |
| (i) प्रो. मल्ला रेड्डी, भूतपूर्व कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय, बजारा हिल्स, हैदराबाद । | |
| (ii) प्रो. शंकर पाटिल, ललित कला महाविद्यालय, कुवेम्पू विश्वविद्यालय देवनगर (कर्नाटक) | |
| (iii) डा. बी.जी. सिद्धार्थ महानिदेशक, बिड़ला तारामंडल, बिड़ला विज्ञान केन्द्र एव संग्रहालय, आदर्श नगर, हैदराबाद-500001 | |
| 5.1(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति | |
| (1) श्रीमती वासीरेड्डी कासीरत्नम, 12-2-720/2, नंदी नगर, हैदराबाद--500028 | |
| (2) *** नामित किया जायगा । | |

***बाद में अधिसूचित किया जाएगा ।

[संख्या एफ 15-13/97-एम. 1]

ए.सी. उप्पल, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 15th December, 1997

**G.S.R.** 6.—Whereas in pursuance of the Section 5 Sub-Section (1) of the Salar Jung Museum Act, 1961 (26 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act)t, he Central Govt. has nominated the following persons to be members of the Salar Jung Museum Board for a period of 5 years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

| Relevant Clause/Provision | Nominated |
|---|---|
| CHAIRMAN | |
| 5.1 (a) The Governor of Andhra Pradesh, Hyderabad. | The Governor of Andhra Pradesh, Hyderabad. |
| Ex-Officio Members : | |
| 5.1 (b) The Representative of the Government of India in the Ministry concerned, dealing with the matters relating to the Salar Jung Museum not below the rank of Deputy Secretary. | Secretary, Government of India, Deptt. of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi. |
| 5.1 (c) The Mayor of the Corporation of Hyderabad | As there is vacancy in the Office of the Mayor, the Officer discharging the duties of the Mayor/till regular Mayor is appointed. |
| 5.1 (d) The Vice-Chancellor of the Osmania University | (Prof. V. Ramakistaiyya) Vice Chancellor, Osmania University, Hyderabad—500 007. |
| 5.1 (e) The Accountant General, Andhra Pradesh | (Mrs. Veda Kumari) Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad. |
| MEMBERS : | |
| 5.1 (f) A person nominated by the Central Government who shall be from the family of Late Nawab Salar Jung III. | Nawab Ahtheram Ali Khan of Hyderabad |
| 5.1 (g) Three persons to be nominated by Central Govt. having knowledge and experience of Museums and Libraries : | ——— |
| (i) Prof. Malla Reddy, Former Vice-Ckancellor, Osmania University, Banjara Hills, Hyderabad. | |
| (ii) Prof. Shankar Patil, College of Fine Arts, Kuvempu University, Devengere (Karnataka). | |
| (iii) Dr. B. G. Siddarth, Director General, Birla Planetorium, Birla Science Centre & Muscum, Adarsh Nagar, Hyderabad—500 001. | |

5.1 (h) Two persons nominated by the State Govt.

(i) Smt. Vasireddy Kasirathnam.
12-2-720/2,
Nandi Nagar,
Hyderabad-500-028

(ii) To be nominated***
***To be nominated later.

[No. F.15-13/97-M. 1]
A. C. UPPAL, Under Secy.

---

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(भूमि प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि. 7.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग), नई दिल्ली के अधीन भूमि और विकास कार्यालय में आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि और विकास कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी-1 (समूह "ख" अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1997 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमन से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 15 में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा मे छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आशुलिपिक श्रेणी-I | 1* (1977) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय | 1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु. |

| चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन,) निबम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताए | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | प्रोन्नति :<br>ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमति सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिसने आशुलिपिक श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणो-3 की श्रेणी में कुल मिलाकर 10 वर्ष नियमित सेवा की है<br>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :<br>केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—<br>(क)(i) जो नियमित आधार पर संदृश पद धारण कि ए हुए है, या |

| 12 |
|---|
| (ii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रू० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमत सेवा की है, या<br>(iii) जिन्होंने 1200-2040 रू० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 10 वर्ष नियमित सेवा की है, और<br>(ख) जिनके पास आशुलिपिक/कार्य (हिन्दी या अंग्रेजी) का 3 वर्ष का अनुभव है<br><br>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी )। |

| यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|
| 13 | 14 |
| समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)<br>1. भूमि और विकास कार्यालय का भारसाधक संयुक्त सचिव—अध्यक्ष<br>2. भूमि और विकास कार्यालय का भारसाधक निदेशक/उप सचिव—सदस्य<br>3. भूमि और विकास अधिकारी —सदस्य<br>4. अवर सचिव (भूमि) —सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है |

[सं० ए-32014/1/94-एल डी]

एम पी० जोखानी, डैस्क अधिकारी (भूमि)

## MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

(Lands Division)

New Delhi, the 17th December, 1997

G.S.R. 7.—I exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Stenographer Grade-I post in the Land & Development Office under the Ministry of Urban Affairs & Employment (Department of Urban Development) New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Land & Development Office, Stenographer Grade-I (Group 'B' Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, the classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recritment to the said post, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of Post | Number of Post | Classification | Scale of Pay | Whether selection or non-selection post. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stenographer Grade-I | 1*(1997) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Services Group 'B' Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900. | Non-selection. |

| Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will be apply in the case of promotees. | Period of probation if any |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicalbe | 1 Year for promotee. |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition? |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| Promotion failing which by transfer on deputation. | PROMOTION :<br>Stenographer Grade-II with 5 years' regular service in the grade failing which Stenogarpher Grades-II with 10 years combined regular service in the grades of Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III<br>TRANSFER ON DEPUTATION :<br>Officers under the Central Government<br>(a) (i) Holding anologous posts on regular basis;<br>OR<br>(ii) with 5 years. regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/- 2600 or equivalent :<br>OR | Group 'B' Departmental Promotion Committee (For Promotion)<br>1. Joint Secretary Incharge of Land and Development Office—Chairman.<br>2. Director/Deputy Secretary, Incharge of Land and Development Office – Member.<br>3. Land and Development Officer—Member<br>4. Under Secretary (Lands)—Member. |

| 12 | |
|---|---|
| | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
| (iii) with 10 years regular service in posts in the Scale of Rs. 1200-2040 OR equivalent: AND<br>(b) Possessing 3 years' experience of Stenographic work (Hindi or English). | |

| 13 | 14 |
|---|---|
| Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation Similarliy depuationists. shall not be eligible for consideration for appointment by promotion . (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other Organisation department of the Central Government shall ordinarily not exceed these years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of applications. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[No. A-32014/1/94--LD]

YASH P. JOKHANI, Desk Officer (Lands)

(Central Public Works Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th December, 1997

G.S.R. 8.—In G.S.R. No. 266 dated 18th June, 1997, The year 1977 pointed in rules number 1(1) of the Ministry of Urban Affairs and Employment, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, may please be read as 1997.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

[No. 5|2|97-EC.I]

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि. 9.—वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जो केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप से सम्बन्धित कोई आपत्ति अथवा सुझाव जो महानिदेशक नागर विमानन, तकनीकी केन्द्र, सफदरजंग हवाई अड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 के पते पर प्राप्त होगा, उस पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 है।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 78ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"78ख. विदेश यात्रा कर.—(1) भारत के बाहर किसी स्थान के लिए वायुयान द्वारा भारत छोड़ने वाला प्रत्येक यात्री वायुयान में चढ़ते समय वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) के अध्याय-5 के उपबंधों के अनुसार विदेश यात्रा कर का संदाय करेगा।

(2) भारत से अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाओं का प्रचालन करने वाले या अन्तर वायुयान आधार पर भारत से यात्रियों का परिवहन बुक करने वाले सभी वाहकों का यह कर्तव्य होगा कि वे टिकट जारी करते समय, जिसमें भारत से बाहर जारी किए गए टिकट भी सम्मिलित हैं, यात्रियों से विदेश यात्रा कर का संग्रहण करें और उसे वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 35 के अधीन उक्त करके संग्रहण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के पास जमा कराएं :

परन्तु यह कि यदि किसी कारण से, किन्हीं विरले और अपवादिक मामलों में यदि विदेश यात्रा कर का संग्रहण टिकट जारी करने के समय नहीं किया गया हो तो वाहक यात्रियों से उसके संग्रहण का प्रबंध इस प्रकार करेगा कि विमानपत्तन पर अतिरिक्त क्यू लगाने की आवश्यकता से बचा जा सके।

(3) उपनियम (2) के अनुसार विदेश यात्रा कर के संग्रहण के लिए वाहक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत संग्रहण प्रभार प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

[फा. स. ए.वी. 11012/4/97-ए]

वी. जे. मेनन, अवर सचिव

टिप्पणी : भारत के राजपत्र में मूल नियम प्रकाशित किए गए थे देखिए, दिनांक 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 तथा तदुपरान्त 27 फरवरी, 1969 के सा.का.नि. 544 द्वारा संशोधित अधिसूचना।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 12th December, 1997

G.S.R. 9.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of 45 days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received on the address of the Director General of Civil Aviation, Technical Centre, Opp. Safdarjung Airport, New Delhi-110003 from any person with respect to the said draft before the expiry of a period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 1997.

2. In the Aircraft Rules, 1937, for rule 78B, the following rule shall be substituted, namely :—

"78B. Foreign Travel Tax.—(i) Every passenger leaving India by an aircraft for a destination outside India shall, before embarking on the aircraft, pay the Foreign Travel Tax in accordance with the provisions of chapter V of the Finance Act, 1979 (21 of 1979).

(2) It shall be the duty of all carriers operating international air transport services from India, or booking passengers for transportation from India on interline basis, to collect the foreign travel tax from passengers at the time of issuance of tickets, including tickets issues outside India, and deposit the same with the officers authorised for collection of the said tax under Section 35 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979) :

Provided that if due to any reason, in some rare and exceptional cases, the foreign travel tax has not been collected at the time of issuance of tickets, the carrier shall arrange collection of the same from the passengers in such a way that the necessity for additional queuing at the airport is avoided.

(3) For collection of the foreign travel tax in accordance with sub-rule (2), the carriers shall be entitled to receive collection charges as fixed from time to time by the Ministry of Finance, Government of India."

[F. No. AV. 11012/4/97-A]

V. J. MENON, Under Secy.

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. V-26, dated the 23rd March, 1937 and subsequently amended by GSR 544, dated the 27th February, 1969.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1997

सा०का०नि० 10.—राष्ट्रपति ; संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय (दफतरी पद) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय (दफतरी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय (दफतरी पद) भर्ती नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में उद्देशित नियम और अनुसूची में, "निदेशालय" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "ब्यूरो" शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियम की अनुसूची में, स्तम्भ 4 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रु०"।

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 952, तारीख 23-11-1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[सं० ए-12018/14/97-प्रशा०/एम एफ एस/एन एन वी]

एस० के० सिंघल, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 1997

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Presdient hereby makes the following rules to amend the Directorate of

Civil Aviation Security (Daftry Post) Recruitment Rules, 1987, namely :—

(i) These rules may be called the Directorate of Civil Aviation Security (Daftry Post) Recruitment Amendment Rules, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Civil Aviation Security (Daftry Post) Recruitment Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), in the preamble, rules and the Schedule, for the word "Directorate" wherever it occurs, the word "Bureau" shall be substituted.

3. In the Schedule to the said rules in column 4, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150."

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification Number GSR 952, dated 22-11-1987.

[No. A. 12018/14/87-Admn./SFS/SSV]

S. K. SINGHAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1997

सा०का०नि० 11 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय (ज्येष्ठ चपरासी) नियम, 1987 और नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय ज्येष्ठ चपरासी भर्ती (संशोधन) नियम 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय (ज्येष्ठ चपरासी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय (ज्येष्ठ चपरासी) भर्ती नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में उद्देशिका नियम और अनुसूची में, "निदेशालय" शब्द के स्थान पर जहां कहीं वह आता है, "ब्यूरो" शब्द रखा जाएगा।

3 उक्त नियम की अनुसूची में, स्तम्भ 4 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"775-12 871 14 955-15-1030-20-1150 रु०"

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 7 तारीख 15-12-87 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 385 तारीख 30-7-92 द्वारा संशोधन किए गए।

[सं० ए-12018/14/87-प्रशा०/एस एफ एस/एस एस वी)]

एस० के० सिंघल, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 1997

G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Civil Aviation Security (Senior Peon) Recruitment Rules, 1987 and Directorate of Civil Aviation Security (Senior Peon) Recruitment Amendment Rules, 1992, namely :—

(i) These rules may be called the Directorate of Civil Aviation Security (Senior Peon) Recruitment Amendment Rules, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Civil Aviation Security (Senior Peon) Recruitment Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), in the preamble, rules and the Schedule, for the words Directorate wherever it occurs, the word "Bureau" shall be substituted.

3. In the schedule to the said rules in column 4, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150."

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India, Notification Number GSR 7, dated 15th December, 1987 and subsequently amended vide notification Number GSR 385 dated 30-07-92.

[No. A. 12018/14/87-Admn./SFS/SSV]

S. K. SINGHAL, Under Secy.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि. 12—इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 25(2) के उपबन्धों के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रबंध बोर्ड ने 28–3–97 को आयोजित अपनी बैठक में संविधि 28 के खंड 3(क) में निम्नलिखित नया उपखंड 4(क) जोड़कर संशोधन/परिवर्धन किया है।

(1) (क) निदेशक, एन.ए.ए.सी.

कुलाध्यक्ष ने मा.सं.वि.मं. के पत्र सं. एफ–5–54/97 –डैस्क (यू)(ए) दिनाक 11–11–97 के द्वारा उपर्युक्त संशोधन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

उपर्युक्त संशोधन/परिवर्धन कुलाध्यक्ष के अनुमोदन की तारीख अर्थात् 11–11–97 से प्रभावी होगा।

[आई जी/एडमिन(जी) संविधि 28/91]

के.जे. एस. प्रसादा राव, कुलसचिव

## INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, 29th December, 1997

G.S.R. 12.—In exercise of the powers vested with it, under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985, the Board of Management at its meeting held on 28-3-1997 has made an amendment/addition to the Clause (3-a) of Statute 28 by adding the following new sub-clause iv(a) :

(iv) (a) Director, NAAC.

The Visitor has accorded his approval to the said amendment vide MHRD letter No. F 5-54/97-Desk (U) (A) dated 11-11-1997.

The above amendment/addition will be effective from the date of the approval of the Visitor i.e. 11-11-1997.

[No. IG/ADMN(G)/Statute 28/91]

K. J. S. PRASADA RAO, Registrar.

[illegible] M va P [illegible] New Delhi-110064